कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला जनपद पिथौरागढ़।

शिक्षा विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मैनुअल

वर्ष–2014–15

lxBu dh fof'kf"V;k dR; dr0; %&

09 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् शासनादेश संख्या–713/माध्यमिक/2003 दिनांक 05 सितम्बर 2003 के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत कर शिक्षा विभाग की संरचनात्मक स्वरूप निर्धारित किया गया है। संगठन का कार्य क्षेत्र जनपद होगा। शिक्षा का नियोजन, संचालन, नियंत्रण पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई है जिसका कार्यालयाध्यक्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी है।

lxBu dh fof'kf"V;k %&

जनपद स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 01 से 12 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था हेतु एक संगठन है। जनपद स्तर पर राजकीय हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, संस्कृत विद्यालय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज संस्कृत विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय आदर्श विद्यालय, सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की जाती है। आई0सी0एस0सी0 एवं सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के विद्यालयों का निरीक्षण, अनुश्रवण, मान्यता हेतु स्थलीय निरीक्षण करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की शिकायतों की जॉच करना।

उत्तराखण्ड में जनपद स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् है:–

¼1½ fodkl [k.M Lrj ij %&

Ø0l0	inuke	orrueku	vU; fooj.k
01	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	पदेन वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य	जनपद में स्वीकृत विकास खण्ड के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 01 (एक)
02	उप विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति विद्यालय निरीक्षकों का समायोजन)	6500–10500	जनपद में स्वीकृत विकास खण्ड के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 01 (एक)

¼2½ U;k; ikpk;r Lrj ij %&

Ø0l0	inuke	orrueku	vU; fooj.k
01	क्षेत्र शिक्षा अधिकारी	पदेन वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य	जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल

¼3½ fo|ky; Lrj ij %&

जनपद के प्रत्येक राजकीय/अराजकीय/इण्टर कालेज/हाईस्कूल (बालक/बालिका) में प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का प्रति विद्यालय 01 (एक) पद।

'kklukn'k l[;k&@**XXIV-2/2012-6(3)/2012** fnukd 09 vDVcj 2012 d} }kjk fo|ky;h f'k{kk foHkkx d vurxir iuxxfBr uohu <kp d vu:i fØ;kUo;u gr vf/kdkfj;k d dR; ,o dr0; %&

fodkl [k.M Lrj

[k.M f'k{kk vf/kdkjh %&

1. विकास खण्ड़ स्तर पर शिक्षा के अधिकार से वंचित आयु वर्ग 6 से 14 के बच्चों का विद्यालयों में आयु एवं स्तर के अनुसार पंजीकरण करना, शिक्षा धारण एवं उनकी नियमित उपस्थिति का भौतिक सत्यापन करना।
2. विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् समस्त छात्रों को शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पुस्तकें, स्टेशनरी, विद्यालय गणवेश, मध्याह्न भोजन तथा शासन एवं केन्द्र सहायतित द्वारा दी जा रही विभिन्न आर्थिक सुविधाओं को समय पर उपलब्ध करवाना।
3. विकास खण्ड सतरीय बैठकों हेतु नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना।
4. विकास खण्ड के अन्तर्गत हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों का सप्ताह में 02 दिन नियमित निरीक्षण करना।
5. विकास खण्ड के अन्तर्गत समस्त संकुल केन्द्रों का पर्यवेक्षण।
6. हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर की मान्यता से सम्बन्धित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना।
7. विकास खण्ड स्तर की समस्त परीक्षाओं के सफल संचालन के प्रति उत्तरदायी होना।
8. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का नियमानुसार/निर्देशानुसार भुगतान सुनिश्चित कराना।
9. विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक उन्नयन हेतु मासिक बैठक आयोजित करना।
10. ब्लॉक के अन्तर्गत समस्त टी0सी को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
11. ब्लाक स्तर पर आर0एम0एस0ए0 एवं साक्षरता परियोजना के क्रियान्वयन हेतु खण्ड परियोजना अधिकारी होना।
12. ब्लॉक के अन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्रों की नियमित उपस्थिति के प्रति उत्तरदायी होना।
13. विकास क्षेत्र के रा0इ0का0 के प्रधानाचार्यों/रा0उ0मा0वि0 के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का चिकित्सा अवकाश एवं उपार्जित अवकाश दिनों की संख्या, प्रकरणों को जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक/माध्यमिक) एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को संस्तुति सहित प्रेषित करना।
14. रा0उ0मा0वि0 के प्रधानाध्यापकों एवं रा0इ0का0 के प्रधानाचार्यों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
15. विकास खण्ड के अन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की नीति एवं आदेशों के तहत् कार्यवाही सुनिश्चित करना।
16. विकास खण्ड स्तर पर सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण करना।
17. रा0इ0का0 प्रधानाचार्यों एवं रा0उ0मा0वि0 के प्रधानाध्यापक एवं अपने कार्यालयों के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिवेदन अधिकारी के रूप में प्रविष्टि अंकित करना।
18. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए समीक्षक अधिकारी के रूप में प्रविष्टि अंकित करना।
19. विकास खण्ड के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी होना।

20. विकास खण्ड के अन्तर्गत सभी नवीन विद्यालयों को खोलने हेतु स्कूल मैपिंग करना तथा विद्यालयों के उच्चीकरण से सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी को आख्या सहित उपलब्ध कराना।
21. विकास खण्ड के समस्त रा0उ0मा0वि0/रा0इ0का0 कालेजों के भौतिक संसाधनों का विवरण संकलित कर व्यवस्थित रखना।
22. विकास खण्ड स्तर की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होना।
23. विकास खण्ड के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (राजपत्रित को छोडकर) का 90 प्रतिशत भविष्य निधि के आहरण हेतु संस्तुति कर प्रस्तुत करना।
24. उप शिक्षा अधिकारी के भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित करना तथा मार्ग निर्देशन करना।
25. अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिल प्रतिहस्ताक्षरित करना।
26. विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों के भवनों का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना।
27. खण्ड स्तर पर लिपिक वर्गीय कार्मिकों की गोपनीय आख्याओं में प्रविष्टि हेतु स्वीकृर्ता अधिकारी (द्विस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत)।
28. प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्मिकों की 42 दिन से अधिक परन्तु 90 दिन तक उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना तथा अधिक की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को संस्तुत/अग्रसारित करना।

mi f'k{kk vf/kdkjh d dk;Z ,o nkf;Ro%&

1. विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के वंचित 6 से 14 तक आयु वर्ग बच्चे का विद्यालयों में आयु एवं स्तर के अनुसार पंजीकरण करना, शिक्षा धारण एवं उनकी नियमित उपस्थिति का भौतिक सत्यापन करना।
2. विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत् समस्त छात्रों को शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पुस्तकें, स्टेशनरी, विद्यालय गणवेश, मध्याह्न भोजन तथा शासन एवं केन्द्र सहायतित द्वारा दी जा रही विभिन्न आर्थिक सुविधाओं को समय पर उपलब्ध करवाना।
3. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित विकास खण्ड की बैठकों हेतु उत्तरदायी होना।
4. विकास खण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का सप्ताह में 02 दिन नियमित निरीक्षण करना।
5. विकास खण्ड के अन्तर्गत समस्त संकुल केन्द्रों का पर्यवेक्षण।
6. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु सम्बन्धित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रेषित करना।
7. विकास खण्ड स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा से संबन्धित समस्त परीक्षाओं के सफल संचालन के प्रति उत्तरदायी होना।
8. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का नियमानुसार/निर्देशानुसार भुगतान सुनिश्चित कराना।
9. विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक उन्नयन हेतु मासिक बैठक आयोजित करना।
10. ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का विकास खण्ड परियोजना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन।
11. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को दक्षता पुरस्कार हेतु संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक को भेजना।
12. विकास खण्ड के अन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्रों की नियमित उपस्थिति के प्रति उत्तरदायी होना।

13. विकास खण्ड स्तर पर स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तैनाती सक्षम स्तर से सुनिश्चित कराना।
14. विकास खण्ड के अन्तर्गत विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की नीति एवं आदेशों के तहत् कार्यवाही सुनिश्चित करना।
15. विकास खण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी होना।
16. विकास खण्ड के अन्तर्गत सभी नवीन प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के खोलने हेतु स्कूल मैपिंग करना तथा विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी को आख्या सहित उपलब्ध कराना।
17. विकास खण्ड के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विवरण संकलित कर व्यवस्थित रखना।
18. विकास खण्ड स्तर की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होना। विकास खण्ड स्तर पर सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण करना।
19. विकास खण्ड के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का 90 प्रतिशत भविष्य निधि के आहरण हेतु संस्तुति कर प्रस्तुत करना।
20. विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों के भवनों का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना।
21. मध्याह्न भोजन योजना संचालन के लिए नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना।
22. बी0आर0सी0 के कार्यों का अनुश्रवण करना। परियोजना से सम्बन्धित कार्यों के संचालन में बी0आर0सी0 से समन्वय स्थापित करना।
23. सप्ताह में तीन दिन प्राथमिक विद्यालयों का प्रभावी अनुश्रवण करना, निरीक्षण आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।
24. प्राथमिक/उ0प्रा0वि0 के अध्यापकों/कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र पंजिका में समीक्षक अधिकारी के रूप में प्रविष्टि अंकित करना।
25. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 42 दिन का चिकित्सा अवकाश/उपार्जित अवकाश नियमानुसार स्वीकृत करना तथा उससे अधिक का जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को संस्तुत करना।
26. खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन के उपरान्त चयन वेतनमान स्वीकृत करना।

{k= f'k{kk vf/kdkjh %&

1. पैरा अध्यापक (शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु) आदि के चयन प्रक्रिया में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी को यथा आवश्यक सहयोग किया जाना।
2. शिक्षा मित्र एवं शिक्षा बन्धु के अभिलेखों का रख–रखाव।
3. संकुल क्षेत्र स्थित अधीनस्थ विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करना।
4. अधीनस्थ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
5. अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के चिकित्सा अवकाश/उपार्जित अवकाश तथा अन्य अवकाशों के सम्बन्धित प्रार्थना पत्र आख्या सहित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करना।
6. अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 अग्रिम से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अग्रसारित करना।
7. स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरणों पर शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के तहत् सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित करना।

8. अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों को सम्बन्धित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के सम्मुख आख्या सहित नियमानुसार प्रस्तुत करना।
9. अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की गोपनीय प्रवृष्टियों में यथा सम्भव प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के रूप में संस्तुतियां सम्बन्धित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।
10. अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन आहरण हेतु उपस्थिति प्रमाणित कर सम्बन्धित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करना।
11. संकुल व्यवस्था के अर्न्तगत समस्त सूचनाओं का संकलन अनुश्रवण एवं यथा निर्देशानुसार प्रेषण करना।
12. संकुल व्यवस्था के अर्न्तगत प्रशासनिक कार्यो के प्रति उत्तरदायी होना।
13. अशााकीय विघालयों की स्थापना व मान्यता के नवीनीकरण आदि से सम्बन्धित कार्यो पर टिप्पणी/ आख्या सम्बन्धित विकास खण्ड़ शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।
14. कम से कम सप्ताह में एक बार संकुल व्यवस्था के अर्न्तगत विधालयों में शैक्षिक गुणावत्ता बनाये रखनें के लिए उनका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
15. संकुल व्यवस्था के अर्न्तगत मध्यान्ह भोजन योजना ,सर्व शिक्षा अभियान व अन्य योजना के संचालन हेतु नोड़ल अधिकारी के रुप में कार्य करना।
16. विधार्थियो की छात्रवृत्ति सें सम्बन्धित परीक्षाओं का आयोजन।
17. वैकल्पिक शिक्षा केन्दों आंगनबाड़ी केन्दों, साक्षरता केन्द्रो तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित बाल विकास योजनाओं व कार्यो के प्रति समन्चय स्थापित करना।
18. परिषदीय परिषदीय परीक्षाओं के संचालन हेतु विकास खण्ड़ शिक्षा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
19. संकुल व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक कार्यो के प्रति उत्तरदायी होना।
20. संकुल व्यवस्था के अन्तर्गत विधालयों के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्माण कराने हेतु उत्तरदायी होना।
21. संकुल व्यवस्था के अन्तर्गत विद्याालयों में विद्यालयो में कम्प्यूटर शिक्षा का अनुश्रवण एवं उसके सही उपयोग के प्रति उत्तरदायी होना।

i/kkukpk;Z %&

अपने विद्यालय/सस्था के लिए पूर्ण रुप से उत्तदायी होना एवं संकुल के अन्तर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों का शिक्षण व्यवस्था का संचालन करना।

- lpuk dk tu vf/kdkj   eSuqvy la[;k &02

- ftyk Lrj ls fo|ky; Lrj rd fu;qDr vf/kdkfj;ks@deZpkfj;ksa dh 'kfDr;k¡ ,oa drZO; %&

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कर्मचारी अधिकार राज्यपाल में अधीन हैं, और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम् से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कुछ सीमा तक और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ–साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे अथवा जो संविधान या शासन के नियम अथवा आदेशों या राज्य विधान मंण्डल के किसी अधिनियम् के उपबन्धों द्वारा पहले से लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं।

शासनादेश संख्या–880/माध्यमिक/2003 दिनांक 5–9–2003 द्वारा शिक्षा विभाग का जनपद स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक निम्नांकित अधिकारी एवं उनके अधीन विभिन्न स्तर के कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

tuin Lrj	मुख्य शिक्षा अधिकारी
	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
	जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)
	एवं कार्यालय कर्मचारी
fodkl[k.M Lrj	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (पदेन प्रधानाचार्य)
	उप विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
	एवं कार्यालय कर्मचारी
{ks=h; Lrj ¼U;k; iapk;r½	क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (पदेन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक)
fo|ky; Lrj	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
	शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी

उक्त अधिकारी कर्मचारियों को निम्न अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त हैं–

[k.M f'k{kk vf/kdkfj;ksa dh 'kfDr;k¡ %&

1. विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. शिक्षा मित्र/बंधु की व्यवस्था अनुमोदित करना।
3. राजकीय इण्टर कालेज/हाईस्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करना।
4. क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
5. सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, संकुलों का पर्यवेक्षण करना।
6. विकासखण्ड की योजनायें बनाना।
7. राजकीय हाईस्कूल व इण्टर कालेजों के भौतिक संसाधनों का सत्यापन।
8. परीक्षाओं के संचालन के प्रति उत्तरदायी होना।
9. उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम को अनुमोदित करना।
10. अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिल अग्रसारित करना।
11. अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिल अग्रसारित करना।

12. विकासखण्ड तथा संकुल स्तर पर समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर क्रिया–क्लापों को सुनिश्चित करना।

dr0; %&

1. जनपद स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग करना।
2. रा0इ0का0/रा0उ0मा0वि0 के अध्यापकों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा संस्तुति मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजना।
3. वेतन आहरण के लिए अपने कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
4. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी होना।
5. नवीन विद्यालयों के उच्चीकरण प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजना।
6. सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रेषण।
7. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के दक्षता पुरस्कार की संस्तुति करना।
8. रा0इ0का0/रा0उ0मा0वि0 के प्रधानाचार्यो के वित्तीय प्रकरण को मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना।
9. स्वयं के विद्यालय के प्रति उत्तरदायी होना।
10. सेवा निवृत्त शिक्षकों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि भुगतान हेतु संस्तुत करना।

mi [k.M f'k{kk vf/kdkfj;ksa dh 'kfDr;k¡ %&

1. बी0आर0सी0 से सहयोग एवं समन्वय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।
3. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्र0अ0/स0अ0 के चरित्र पंजिका में प्रतिवेदक/समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करना।
4. विद्यालयों का निरीक्षण, भ्रमण तथा पर्यवेक्षण।
5. विद्यालयों की संचालन व्यवस्था में खण्ड शिक्षा अधिकारी को सहयोग देना।
6. विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
7. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्र0अ0/स0अ0 की सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव।
8. प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रकरणों की जॉच।
9. नवीन हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाकर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम् से जिला शिक्षा अधिकारी को भेजना।
10. विकास खण्ड स्तर पर खेल कूद कार्यक्रमों का आयोजन करना।
11. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्र0अ0/स0अ0 के बिल आहरण हेतु उत्तरदायी होना।

dr0; %&

1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना।
2. सूचनाओं का संकलन, एकत्रीकरण एवं प्रेषण।

i/kkukpk;ksa dh 'kfDr;k¡ %&

1. विद्यालय के समस्त शैक्षिक गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी होना।
2. समस्त अधीनस्थ शिक्षकों/कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र पंजिका प्रवृष्टि हेतु प्रथम प्रतिवेदन अधिकारी के रूप में अंकना करना।
3. अधीनस्थ शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
4. विद्यालय के समस्त छात्र निधियों का रख–रखाव करना/व्यय करना।
5. विद्यालय स्तरीय कर्मचारियों तथा शिक्षकों के वेतन संशोधित करना, अवशेष देयक आदि समस्त प्रकरण तैयार कर जनपद स्तर को संस्तुत/अग्रसारित करना।

drZ; %&

1. विद्यालय अनुशासन के प्रति उत्तरदायी होना।
2. समस्त परीक्षाओं का नियमानुसार विधिवत संचालन कर यथासमय परीक्षाफल घोषित करना एवं उत्तरदायी होना।
3. विद्यालय के समस्त कार्यो का नियोजन एवं प्रबन्ध करना।
4. विभागीय उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों का विद्यालय स्तर पर पालन करना व करवाना।
5. विद्यालय में भौतिक संसाधनों की वृद्धि हेतु योजना तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
6. विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. अधीनस्थ शिक्षकों के चिकित्सीय अवकाश/उपार्जित अवकाशों को समक्ष अधिकारियों को अग्रसारित करना।
8. जिला स्तरीय/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आहूत बैठकों में प्रतिभाग करना।
9. प्रतिदिन कम से कम दो वादन कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना। शिक्षकों के द्वारा कक्षाओं में छात्र–छात्राओं को कराये गये कार्यो का निरीक्षण करना।
10. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का रख–रखाव करना तथा यथासमय उन्हें छात्र–छात्राओं को वितरित करना।

f'k{kdksa dh 'kfDr;k¡ ,oa nkf;Ro %&

1. गृह परीक्षा में प्रधानाचार्य द्वारा आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना।
2. अपने शिक्षण विषय के प्रति उत्तरदायी होना।
3. प्रधानाचार्य द्वारा आवंटित पाठ्य सहभागी क्रिया क्लापों के प्रति उत्तरदायी होना।
4. छात्र–छात्राओं की लिखित कार्य की जॉच करना व उसमें संशोधन करना।
5. गृह व परिषदीय परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के रूप में कार्य करना।
6. छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए विद्यालय स्तर पर योजना बनाकर प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. प्रधानाचार्य द्वारा आहूत बैठकों में प्रतिभाग करना।
8. छात्रों के पंजीकरण एवं परीक्षा सम्बन्धी अभिलेखों के रख–रखाव में प्रधानाचार्य को सहयोग देना।
9. अपने प्रभार से सम्बन्धित सामग्री एवं संभार पंजिकाओं का लिखना।
10. परिषदीय परीक्षा में परिषद् से आवंटित कार्यो तथा दायित्वों का निर्वहन करना।
11. प्रतिदिन किये गये शिक्षण कार्य तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का निरीक्षण आदि कार्य के लिए दैनन्दिनी तैयार करना।

deZpkfj;ksa dh 'kfDr;k¡ ,oa nkf;Ro %&

1. कार्यालय के समस्त अभिलेखों का रख–रखाव करना।
2. अधिकारी द्वारा निर्देशित समस्त कार्यो का यथासमय निष्पादन करना।
3. विद्यालयों के संभार पंजिका में अंकित समस्त सामान के प्रति उत्तरदायी होना।
4. अभिलेखीय सत्यापन व रख–रखाव करना।
5. अभिलेखों का कैश रजिस्टर, आडिट करवाना व आपत्तियों का निराकरण करना।
6. विद्यालयों में छात्रों से प्राप्त शुल्क को यथा समय राजकोष तथा सम्बन्धित बैंक व डाकघर में जमा करना।
7. प्रतिदिन के कार्यो का लेखा जोखा रखना।
8. छात्र पत्रावली से सम्बन्धी एवं परीक्षा से सम्बन्धी विविध कार्यो के प्रति उत्तरदायी होना।

ykd ikf/kdkjh vFkok mlds dkfeZdks }kjk viuk d`R;ks ds fuoZgu ds fy, /kkfjr rFkk iz;ksx fd;s tkus oky s fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk ,oa vfHkys[k dh lpuk

क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं राष्ट्रीय विकास में स्थानीय सहभागिता के लक्ष्य से नव गठित उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्र विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावकारी व्यवस्था एवं नियन्त्रण हेतु शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र स्तर तक विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

जनपद स्तर से क्षेत्र स्तर तक शिक्षा के नियोजन संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु नियत लोक प्राधिकारी तथा उसके कार्मिकों द्वारा कृत्यों के निर्वहन हेतु धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश व निर्देशिका के सम्बन्ध में पूर्व के मैनुवल में किया जा चुका है कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यो का ववरण निम्नवत् हैः–

fodkl[k.M f'k{kk vf/kdkjh dk;kZy; esa dk;Zjr fyfid oxhZ; depkfj;ksa ds dk;Z@nkf;Ro&

dk;kZy; v/kh{kd &

1. समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों /प्रधानाध्यापकों तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की आकस्मिक अवकाश पंजिका का रख–रखाव।
2. स्थानीय/विभागीय पत्रों पर अनुभागवार अंकना कर खण्ड शिक्षा आधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समस्त पटल सहायकों के कार्यो का अनुश्रवण एवं सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. गमना–गमन पंजिका का रख–रखाव।
5. टेलीफोन तथा टेलीफोन पंजिका का रख–रखाव।
6. कार्यालय की सामान्य व्यवस्था तथा सहायकों के कार्यो का अनुश्रवण।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका में अंकना करना।

iz/kku lgk;d

1. कार्यालय लेखा एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य
2. उप खण्ड शिक्षा अधिकारी/क्षेत्र शिक्षा अधिकारी भ्रमाण कार्यक्रमों का अनुमोदन।
3. सामान्य भविष्य निधि प्रकरण से सम्बन्धित कार्य
4. विभिन्न प्रकार की शिकायतों की अंकना एवं सम्बन्धित से अनुपालन कराना
5. सभी अनुभागों से प्राप्त पत्रावलियों की जॉच के पश्चात् ख0शि0अधि0 को प्रस्तुत करना
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम।
7. विकासखण्ड से सम्बन्धित लेखा सम्बन्धी कार्य।
8. शुल्क प्राप्त करना एवं प्राप्त शुल्क को राजकोष में जमा करना।

ofj"B lgk;d&

1. स्टाफ तालिका।
2. विनियमितीकरण/पदोन्नति/योग्यता बृद्धि सम्बन्धी।
3. स्थानान्तरण/वार्षिक प्रबन्ध से सम्बन्धित आवश्यक सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित विकासखण्ड के विद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

dfu"B fyfid&

1. बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में सम्बन्धित पटल प्रभारी को सहयोग।
2. कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य।
3. पत्र प्रेषण, पत्र इण्डेक्स तथा डाक टिकट का रख–रखाव।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत मांगी गई सूचना को सम्बन्धित विद्यालयों को हस्तान्तरण करना एवं संकलित सूचना को अनुरोधकर्ता को प्रेषण।
5. छात्र संख्या का प्रेषण।
6. रिक्तियों की सूचना का संकलन एवं प्रेषण।

i/kkukpk;l@i/kkukpk;k@i/kkuk/;kid@i/kkuk/;kfidk]jk0b0dk0@jk0ck0b0dk0@jk0 m0ek0 fo0@jk0ck0m0ek0fo0 d: dk;l ,o nkf;Ro&

1. संस्था में कार्यरत अध्यापकों तथा कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उपार्जित/चिकित्सावकाश अग्रसारण कर स्वीकृति हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना।
3. अध्यापकों तथा लिपिक वर्ग के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश अग्रसारित करना।
4. प्रधान लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आचरणावलियों में वार्षिक प्रवृष्टि करना।
5. अध्यापकों की आचरणावलियों में प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में वार्षिक प्रवृष्टि करना।
6. निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यालय में छात्रों का प्रवेश करना।
7. शासन द्वारा निर्धारित शुल्क, छात्रों से प्राप्त करना, राजकोष/राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराना।
8. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की मॉग करना तथा प्राप्त छात्रवृत्तियों का छात्रों को भुगतान सुनिश्चित करना।
9. छात्र निधियों का रख–रखाव एवं वित्तीय नियमों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना।
10. प्राप्त अनुदानों का वित्तीय नियमों के अनुसार उपभोग करना।
11. विद्यालय की समस्त शैक्षिक, पाठ्य सहगामी क्रिया–क्लापों का नियोजन, संचालन तथा नियंत्रण।
12. परिषदीय परीक्षाओं का संचालन।
13. गृह परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन तथा परीक्षाफल नियमानुसार तैयार कर घोषित करना।
14. अध्यापक/कर्मचारियों के समस्त अभिलेखों तथा सा0भ0नि0 लेखों का रख–रखाव।
15. सप्ताह में 12 वादन शिक्षण कार्य करना।

&% fo|ky; dk;ky; e dk;jr fyfid ox d nkf;Ro %&

i/kku lgk;d&

1. शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त शुल्क को राजकोष/बैंक में जमा करना।
2. राकड़ बही में आय–व्यय का अंकन।
3. संस्था में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के देयक के बिल तैयार कर लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करना तथा चैक प्राप्त कर सम्बन्धित के खाते में निक्षिप्त करना।
4. प्राप्त अनुदानों का वित्तीय नियमों के अनुसार उपभोग सुनिश्चित करना।
5. सम्भार पंजिकाओं का रख–रखाव।

ofj"B lgk;d&

1. विभिन्न छात्र निधियों का रख–रखाव तथा उपयोग सुनिश्चित करना।
2. अध्यापक/कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों तथा सा0भ0नि0खातों का रख–रखाव।
3. विभिन्न छात्रवृत्तियों की मॉग तथा प्राप्त छात्रवृत्तियों का वितरण।

dfu"B fyfid&

1. एस0आर0 पंजिका का रख–रखाव तथा वार्षिक अंकना करना।
2. छात्रों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करना।
3. पत्र प्राप्त करना/पत्रों का प्रेषण करना।
4. डाक टिकटों का रख–रखाव करना।
5. पुस्तकालय का रख–रखाव तथा पुस्तकों को वितरित करना तथा वापस प्राप्त करना।

euvy l[;k&04

**uhfr cukus ;k mlds dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ds lnL;ksa ls ijkeZ'k ds fy;s ;k muds izfrfuf/kRo ds fy, fo|eku O;oLFkk ds lEcU/k esa lwpuk^^&

प्रदेश में शिक्षा से सन्दर्भित नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श/उनके प्रतिनिधित्व हेतु व्यवस्थायें विद्यमान हैं। यथा प्रदेश स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी नीति/अधिनियम् बनने/प्रख्यापित होने से पूर्व विभागीय अधिकारियों के द्वारा 'सन्दर्भित' का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। विभागीय मंत्री द्वारा (सन्दर्भित स्वरूप) विधेयक का प्रारूप विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा द्वारा विभिन्न समितियों के माध्यम् से विधेयक पर चर्चा/सम्बन्धित विषय पर रूचि रखने वाले सदस्यों से विभिन्न मामलों में परामर्श लिया जाता है। चर्चा/परामर्श के उपरान्त वांछित संशोधन (यदि हो) को सर्व सम्मति से विधेयक पारित होने के साथ नीति/अधिनियम् स्थापित होता है।

इसी प्रकार जनपद स्तर पर कक्षा–1 से 12 तक की शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उन्नयन एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु (भवन निर्माण कार्य, नवीन पदों का सृजन, असेवित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना आदि) हेतु जिला अनुश्रवण समिति गठित होती है। समिति का स्वरूप निम्नवत् होता है–

1–	प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2–	सांसद	सदस्य
3–	जनपद के समस्त विधायक	सदस्य
4–	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
5–	जिलाधिकारी	सदस्य
6–	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
7–	मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8–	जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) सदस्य	

इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था एवं गुणवत्ता हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी है:–

¼1½ ftyk f'k{kk lfefr&

जिला पंचायत के अन्तर्गत जिला शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), जिला पंचायत द्वारा नामित क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य होंगे। जिला पंचायत द्वारा निम्न कृत्यों का निर्वहन किया जाता है–

क– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

ख– बेसिक शिक्ष से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन कराना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसके सौंपा जाय।

¼1½ uxj f'k{kk lfefr&

नगर पालिका क्षेत्रों में नगर शिक्षा समिति गठित होती है, जिसके अध्यक्ष–अध्यक्ष नगर पालिका तथा सदस्य नगर शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डो के सदस्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) होते हैं। समिति निम्न प्रकार दायित्वों का निर्वहन करती है–

क–नगर पालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध करना।

ख–अध्यापकों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना।

ग–बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।
ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नवत् समितियॉ गठित होती हैं–

xke f'k{kk lfefr&

उत्तर प्रदेश सरकार की गजट संख्या–447/सत्रह–वी–एक–दो(क)–4–2000 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 2002 के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति का गठन निम्नवत् किया गया है। सम्प्रति यही व्यवस्था उत्तराखण्ड में प्रभावी है–

क–ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

ख–बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी)
जो ए0बी0एस0ए0 द्वारा नामित किये जायेंगे– — सदस्य

ग–ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम्– — सचिव सदस्य

xke f'k{kk lfefr dk dk;Z&

¼d½ lkekU; mRrj nkf;Ro&

1. शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
3. शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी/अनुदेशक के चयन का कार्य उनका मानदेय वितरण।

¼[k½ 'kS{kd mRrjnkf;Ro&

1. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में प्रतिभाग करना
2. आवश्यकतानुसार स्कूलों के लिए स्थल चयन का कार्य
3. ग्राम पंचायतों के स्थित विद्यालयों के लिए प्राप्त अनुदानों का उचित उपयोग एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव
4. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना।
5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना।
6. विद्यालयों में बच्चों का धारण (शत प्रतिशत उपस्थिति) सुनिश्चित करना।
7. सहभागी क्रियाओं के द्वारा सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन, स्कूल मानचित्रण करवाना एवं प्राथमिकता के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना व क्रियान्वित करना
8. मृात शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठक करवाना। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह से सहयोग लेना।
9. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभाग की समस्त योजनाओं एवं उसमें स्वीकृत धनराशि की जानकारी देना तथा उन योजनाओं में समिति के सदस्यों का योगदान निश्चित करना।
10. वैकल्पिक शिक्षा एवं शिक्षा गारंटी केन्द्र के विषय में जानकारी देना।
11. ग्राम सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में निर्माण कार्य यथा शौचालय, चहारदीवारी, पेयजल, भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का कार्य करना व इन कार्यो से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का समुचित रख–रखाव करना।

उपरोक्त समस्त कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्ध समिति सहयोग करेगी।

Ldy izcU/ku lfefr Hkfedk&

ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है, जिसके अन्तर्गत एक से अधिक विद्यालय भी सम्मिलित होते हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि ग्राम शिक्षा समिति बड़ी इकाई होने के कारण अपना पूरा समय प्रत्येक विद्यालय को नहीं दे पाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य की भौगौलिक स्थिति एवं वर्तमान समय में शासन द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता के लिए अनेक लाभकारी योजनायें प्रत्येक विद्यालय में संचालित हो रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के भी प्रभावी

ढंग से संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–06 शि0/2002 दिनांक 30–3–2003 के द्वारा स्कूल प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रखे गये हैं–

1– ग्राम प्रधान द्वारा नामित सेवित विद्यालय के ग्राम पंचायत का सदस्य–	अध्यक्ष
2– विद्यालय का प्रधानाध्यापक –	सदस्य/सचिव

3– प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वो एक छात्र/छात्रा की माता–सदस्य (जिसमें कम से कम दो सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले अनु0जाति/जनजाति/पि0जा0 के छात्राओं की मातायें उपलब्ध होने पर चयनित की जायेंगी)

4–ग्राम के तीन प्रबुद्ध व्यक्ति–सदस्य (अवकाश प्राप्त अध्यापक, भूतपूर्व सैनिक, स्वैच्छिक संगठन के सदस्य आदि, जिन्हें ग्राम प्रधान की संस्तुति पर समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा)

5–दो पुरूष अध्यापक–सदस्य (जिन्हें प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा)

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता पूरक शिक्षण की रूपरेखा तय करने एवं जनता के सदस्यों से परामर्श हेतु निम्नवत् समितियॉ गठित है–</u>

1&ftyk f'k{kk ifj;kstuk lfefr ¼loZ f'k{kk vfHk;ku ds fy,½

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्यो तथा गुणवत्ता परक शिक्षण की रूपरेखा तय करने तथा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अनुमोदन जिला शिक्षा परियोजना समिति करती है, जिसके सदस्य इस प्रकार हैं–

1–जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
2–प्राचार्य डायट–	सदस्य
3–एक वरिष्ठ प्रवक्ता–	सदस्य
4–जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	सदस्य सचिव
5–एक प्रवक्ता डायट प्राचार्य द्वारा नामित–	सदस्य
6–जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक जिला पंचायत सदस्य–	सदस्य
7–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8–शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि–	सदस्य
9–अनु0जाति अथवा जनजाति का एक प्रतिनिधि–	सदस्य
10–एक महिला शिक्षा विद्–	सदस्य
11–उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक प्रधानाध्यापक (अ0जि0शि0अ0,बे0 द्वारा नामित)	सदस्य
12–प्राथमिक विद्यालय का एक प्रधानाध्यापक (अ0जि0शि0अ0(बे0) द्वारा नामित)	सदस्य

2&Cykd dk;Z lfefr ¼loZ f'k{kk vfHk;ku ds fy,½

विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यो तथा अन्य गुणवत्ता परक कार्यो की कार्ययोजना तैयार करती है। समिति के सदस्य इस प्रकार हैं–

1–खण्ड विकास अधिकारी–	अध्यक्ष
2–प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित एक क्षेत्र पंचायत सदस्य–	सदस्य
3–क्षेत्र पंचायत की एक महिला सदस्य–	सदस्य
4–अनु0जाति0/जनजाति/पि0जाति का एक प्रधान (क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित)	सदस्य
5–एक प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय (उप ख0शि0अ0 द्वारा नामित)	सदस्य
6–प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय (उप ख0शि0अ0 द्वारा नामित)	सदस्य
7–उप खण्ड शिक्षा अधिकारी–	सदस्य सचिव

3&ftyk Lrjh; vuJo.k lfefr

यह समिति शैक्षिक गतिविधियों तथा समस्त कार्यो का अनुश्रवण करती है।

1–जिलाधिकारी– अध्यक्ष
2–मुख्य विकास अधिकारी– उपाध्यक्ष
3–जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य– सदस्य
4–अनु0जाति अथवा जनजाति के एक प्रमुख/वरिष्ठ प्रमुख/कनिष्ठ प्रमुख– सदस्य
(देवनागिरी वर्णमाला के क्रम से एक वर्ष के लिए नामित)
5–एक महिला प्रमुख– सदस्य
(देवनागिरी वर्णमाला के क्रम से एक वर्ष के लिए नामित)
6–जनपद की नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापालिका, नोटी फाइड एरिया द्वारा नामित एक सदस्य (एक वर्ष के लिए)– सदस्य
7–एक शिक्षाविद् (जिलाधिकारी द्वारा नामित)– सदस्य
8–शिक्षक प्रतिनिधि एक (बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जनपद के राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की देवनागिरी वर्णमाला के क्रमानुसार तैयार की गई सूची में से, जिलाधिकारी द्वारा नामित एक वर्ष के लिए एक शिक्षक)– सदस्य
9–मुख्य शिक्षा अधिकारी– सदस्य
10–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी– सदस्य
11–जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)– सदस्य
12–प्राचार्य डायट– सदस्य
13–लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक/अधिशासी अभियन्ता– सदस्य
14–राज्य स्तर से नामित नोडल अधिकारी– सदस्य
15–जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) सदस्य सचिव

3&{k= iapk;r vuJo.k lfefr

क्षेत्र पंचायत शिक्षा अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया गया है–

1–क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष– अध्यक्ष
2–क्षेत्र पंचायत का एक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुना गया हो (क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित)– सदस्य
3–राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग विकास खण्ड की सीमा में पड़ता हो– सदस्य
4–एक ग्राम प्रधान जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो(क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा)– सदस्य
5– क्षेत्र पंचायत समिति का एक अनु0जा0/जनजाति का सदस्य (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा)– सदस्य
6– क्षेत्र पंचायत समिति की एक महिला सदस्य (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य)– सदस्य
7– खण्ड विकास अधिकारी– सदस्य
8–एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक उच्च्य प्राथमिक विद्यालय (उप ख0शि0अ0 द्वारा नामित) सदस्य
9–एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय (उप ख0शि0अ0 द्वारा नामित) सदस्य
10–विकासखण्ड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित)– सदस्य
11–उप खण्ड शिक्षा अधिकारी– सदस्य सचिव

इस प्रकार शिक्षा से सम्बन्धित नीति बनाने व उसके कार्यान्वयन हेतु प्रदेश, जनपद एवं ग्राम स्तर पर जनता के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

nLrkost tk yksd ikf/kdkjh }kjk /kkfjr ;k mlds fu;=.kk/khu gS

क्र.	प्रशासनिक पंजिका	क्र.	वित्तीय पंजिका	क्र.	अन्य पंजिकायें
1.	उपस्थिति पंजिका	1.	लॉग बुक	1.	आगन्तुक पंजिका
2.	समस्त प्रकार के अवकाश पंजिकायें	2.	छात्र वितरण पंजिका	2.	शिकायत पंजिका
3.	डिस्पैच	3.	एस0पी0एस0 पंजिका	3.	पंजिकाओं की पंजिका
4.	समस्त सेवा पंजिकायें	4.	वेतन पंजिका	4.	फाइलों की पंजिका
5.	आदेश पंजिका	5.	कार्यालय व्यय बिल पंजिका	5.	साईकिल पंजिका
6.	गोपनीय आख्या पंजिका	6.	यात्रा भत्ता प्रतिहस्ताक्षर पंजिका	6.	स्टॉक पंजिका सामान्य
7.	यात्रा भ्रमण पंजिका	7.	यात्रा भत्ता बैंक पंजिका	7.	भूमि भवन पंजिका
8.	स्थानान्तरण आदेश गार्ड फाईल	8.	11–सी पंजिका		
9.	बैठक पंजिका	9.	कोषागार पंजिका		
10.	गमनागमन पंजिका	10.	जी0पी0एफ0 चतुर्थ श्रेणी		
11.	अर्द्धशासकीय पत्र पत्रावली पंजिका / गार्ड फाईल	11.	ब्राडशीट पंजिका		
		12.	जी0पी0एफ0 पासबुक		
		13.	रोकड़ बही (कैश बुक)		
		14.	विविध बिल पंजिका		
		15.	बैंक कैश पंजिका		
		16.	मॉग एवं वितरण पंजिका		
		17.	क्रीड़ा बिल पंजिका		
		18.	दूरभाष विद्युत पंजिका		
		19.	जलकर पंजिका (अनुरक्षण)		
		20.	बिल पंजिका		
		21.	यात्रा भत्ता बिल बाउचर गार्ड फाईल		
		22.	कार्यालय व्यय बिल वाउचर गार्ड फाईल		
		23.	बजट स्वीकृति सम्बन्धी गार्ड फाईल		

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

euvy l[;k&06

ckMk] ifj"knk o LFkkuh; fudk;k dk fooj.k ,o dk;okgh rFkk dk;oRr rd turk dh igp

- आमुख–
- मैट्रोपालिका
- नगर निगम
- त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था
    - ग्राम पंचायत
    - क्षेत्र पंचायत
    - जिला पंचायत
- जिला योजना
- शिक्षा विभाग की कल्याणकारी योजनायें
- परिशिष्ट
- उपलब्ध संलग्नक
- सन्दर्भ

लोकतंत्र में सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जहॉ मौलिक अधिकार देता है, वहीं कर्तव्य भी निर्धारित करता है। सूचना पाने का अधिकार संविधान गत नवीनतम विधेयक है, जो प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए हमारे लोकतंत्र के अत्यन्त पारदर्शी होने एवं लचीलेपन का बोध कराता है।

शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। शिक्षा से जुड़े हुए उपक्रमों में शासन–प्रशासन के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, बोर्डो, परिषदों, जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजनाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय निकाय एवं उनके प्रतिनिधि तथा ग्राम विकास समितियों व शिक्षा समितियां शासन की शिक्षोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व के साथ शासन की विभागों व बेसिक शिक्षा परिषद् जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हैं। शिक्षा के उन्नयन एवं विकास की आवश्यकता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1–भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन

2–शैक्षिक उन्नयन के लिए जिम्मेदार एवं अधिकृत संसाधन।

भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की पूर्ति जहॉ शासन प्रशासन उत्तरदायी हैं, वहीं शैक्षिक उन्नयन के लिए मानवीय संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों के सदुपयोग, उनके द्वारा पठ्न–पाठ्न तथा शैक्षिक हित से जुड़ी जिम्मेदारियों पर एक सजग दृष्टि एवं समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए विभिन्न समितियां व लोकतंत्र की पूरक संस्थायें उत्तरदायी हैं।

ये संस्थायें जिला परिषद्, नगरपालिका, नगर महा पालिका, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका पंचायत छावनी परिषद्, एन0जी0ओ0, ग्राम विकास समितियां, जिला पंचायत, क्षेत्र समितियों एवं विभिन्न स्तरों पर जनोपयोगी संस्थान हो सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये कार्यो की जानकारी जनमानस तक सहजता से पहुॅचे तथा एक पारदर्शी वातावरण तैयार हो, का आम जनता को अधिकार प्रदान करना ही सूचना अधिकार विधेयक 2005 के सीमान्तर्गत है।

भारत में वर्तमान में विभिन्न प्रकार के बोर्ड एवं स्थानीय निकाय हैं– जिनमें सम्बन्धित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा सन्दर्भित वर्ष हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है और सम्बन्धित बोर्ड/स्थानीय निकाय अपने कार्य योजना के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करती है।

उक्त व्यय प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पारित किया जाता है और इसकी सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम् 2005 द्वारा उस प्रस्ताव से लाभान्वित होने वाला निवासी नागरिक प्राप्त कर सकता है। विभिन्न चरणों में प्रस्ताव पारित होकर क्रियान्वयन हेतु विभाग के पास प्रस्ताव आते है। विभाग में नगर पालिका, नगर महा पालिका, मैट्रोपालिका में शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना जनसाधारण को देने के लिए अधीकृत हैं। उसे लोक प्राधिकारी का नाम दिया गया है।

विभिन्न बोर्डो की कार्यवाही

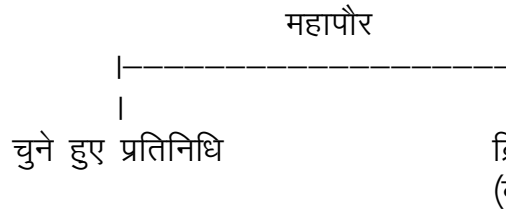

सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। मुख्य रूप से विकास, पेयजल एवं शिक्षा से सम्बन्धित प्रस्तावों को सदस्यगण अपने–अपने क्षेत्रों की आवश्यकतानुरूप, महापौर के समक्ष पारित करवाकर राज्य/केन्द्र/केन्द्र शासित सरकार द्वारा अनुदानित बजट के व्यय की रूपरेखा बनाते हैं और क्रियान्वयन शाखा (कार्यालय) उसे सम्बन्धित कार्यो में खर्च कराती है। इसकी

सूचना का अधिकार जनमानस हेतु शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा अधिकारी (नगर) सुनिश्चित करेंगे और मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध करायेंगे।

इन सूचनाओं को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी/शिक्षा अधिकारी मुद्रित सामग्री/फ्लापी सी0डी0 के रूप में संकलित करेंगे और मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार जनहित में प्रकाशित करने का प्रयास भी करेंगे।

- (उत्तरांचल में केवल नगर निगम स्तर तक का ही गठन है)

uxj fuxe

उत्तराखण्ड राज्य में केवल देहरादून में ही नगर निगम है। इसके अध्यक्ष मेयर होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा चुने गये सदस्य तथा मेयर नगर (महापालिका) की कार्यकारिणी में होते हैं।

नगर निगम भी नगर से सम्बन्धित ढांचागत विकास और शिक्षा के उन्नयन के लिए तथा मुख्य रूप से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित बजट के व्यय की व्यवस्था करते हैं। शिक्षा अधिकारी के रूप में नगर शिक्षा अधिकारी समस्त प्रकार की सूचनायें तथा नये विद्यालयों की स्थापना, पुर्ननिर्माण, जीर्णोधार शिक्षकों की कमी/नियुक्ति/आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। सम्बन्धित सूचनाओं को प्रस्ताव पारण क्रिया की सूचना सामान्य क्षेत्रीय निवासी को नगर शिक्षा के क्षेत्र में अविहित है। इसकी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छावनी परिषद् के मुख्या उपलब्ध करायेंगे।

भारत में लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। महात्मा गॉधी के पंचायती राज के सपने को साकार हेतु भारत सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई।

- प्रथम स्तर–ग्राम पंचायत
- द्वितीय स्तर–क्षेत्र पंचायत
- तृतीय स्तर–जिला पंचायत

इसके अलावा जिला योजना भी है।

xke ipk;r&

ग्राम पंचायत का मुख्या ग्राम प्रधान है, जो कि जनता द्वारा सीधा चुना जाता है और गॉव की जनसंख्या के आधार पर उस ग्राम सभा का नामकरण किया जाता है और सम्मिलित सभी ग्रामों सदस्य चुने जाते हैं और उन्हीं में से एक सदस्य उपप्रधान के रूप में नामित किया जाता है। ग्रामीण विकास में मुख्य स्तम्भ ग्राम पंचायत ही है। इसके मुख्य विकास, शिक्षा और न्याय है।

शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम प्रंधान, उप प्रधान के सहयोग के साथ प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि के कार्यो को सम्पन्न करवाने में शासन की मदद करते हैं। नये विद्यालयों का निर्माण, जीर्णोधार, शौचालय निर्माण, चहारदीवारी, खेल के मैदान का निर्माण का अनुश्रवण करते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उसी ग्राम पंचायत के निवासी (बेरोजगार) को शिक्षा मित्र के रूप में ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा चयनित कर नियुक्ति हेतु अनुमोदन जनपदीय स्तर की समिति के द्वारा किया जाता है।

उपयुक्त क्रिया–क्लापों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए सूचनाओं को जनता को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मांगे जाने पर वांछित रूप में सूचना उपलब्ध करायेंगे।

{k= ipk;r&

विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय स्तर की व्यवस्था है।

इसमें क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अर्न्तगत राज्य सरकार के कर्मचारी खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्टाफ तथा जनता के प्रतिनिधियों के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य (बी0डी0सी0 सदस्य) होते हैं।

बी0डी0सी0 मैम्बरर्स जनता द्वारा सीधे मतदान द्वारा चुने जाते हैं और इन्हीं चयनित क्षेत्र सदस्यों में से एक सदस्य को सदस्यों द्वारा बहुमत से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख के रूप में चुना जाता है।

प्रत्येक माह क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के सहयोग एक बैठक आयोजित की जाती है। ढांचागत विकास एवं शिक्षा के उन्नयन के लिए यह प्रमुख मंच है। शिक्षा के लिए उस विकास खण्ड के अर्न्तगत जहॉ भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक (हाई0/इण्टर कालेज) के निर्माण, जीर्णोधार, शैक्षिक उन्नयन, अध्यापकों की कमी आदि से सम्बन्धित मांगों को सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य अध्यक्ष के माध्यम् से सम्बन्धित अधिकारियों से कहते हैं। इस कार्यवाही की व्यापक सूचना शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। और सम्बन्धित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना, आवंटित धन एवं भविष्य की योजना की सूचना भी सूचना तंत्र द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी देंगे।

ftyk ipk;r&

जिला पंचायत पंचायती राज की तीसरी स्तरीय व्यवस्था है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों के जिलास्तर अधिकारी राज्य सरकार की ओर से योजना एवं नीतियों के क्रियान्वयन हेतु होते हैं। वहीं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से (जनसंख्या के आधार पर बनाये गये) जनता द्वारा चुने गये जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं।

इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बहुमत से चुना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य के राज्य मंत्री का स्तर प्राप्त होता है।

प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष में अध्यक्षता में जिलाधिकारी की उपस्थिति में बैठक आयोजित होती है। जहॉ जिला स्तर के समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित होते हैं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा विकास आदि सभी विषयों पर जिला स्तर पर समीक्षा एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य, साक्षरता, सर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी प्रगति आख्या एवं नवीन योजना की रूपरेखा तय की जाती है। मुख्य शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहते हैं। सम्बन्धित सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नगत बातों का उत्तर मुख्य शिक्षा अधिकारी देते हैं। अतः जिला स्तर की समस्त सूचनाओं की जानकारी देना मुख्य शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर मुद्रित सामग्री, फ्लापी, सी0डी0 या समाचार पत्रों के माध्यम से वांछित सूचनायें देंगे।

ftyk ;kstuk&

जिला योजना सम्बन्धित वर्ष के अन्तर्गत होती है जिसमें विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजना बनायी जाती है। साथ ही इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजित योजनाओं को अनुदानित बजट के अन्तर्गत सम्पादित करवाया जा सकता है। राज्य सरकार के बजट में भाग के अनुरूप अनुश्रवण सम्बन्धित विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है।

जिला योजना की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करते हैं। योजनायें एवं इनका क्रियान्वयन आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के लिए

मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित वर्ष की योजना एवं बजट को प्रस्तावित करेंगे और निर्देश जिलाधिकारी के होंगे और योजनायों जिला योजना एवं क्रियान्वयन समिति के द्वारा संस्तुत की जायेंगी जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी होते हैं। सारे दिशा–निर्देश तथा व्यय एवं अनुमानित राशि राज्य सरकार के हिस्से के रूप में होगी।

अर्द्धनिर्मित, चालू योजनाओं को प्राथमितता दी जायेगी जो अपूर्ण हैं उन्हें पूर्ण किया जायेगा। पहले 80 प्रतिशत, फिर 50 प्रतिशत और अन्त में 25 प्रतिशत तैयार कार्य को पूर्ण किया जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनायें जनमानस को उपलब्ध करायेगे।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत भी पीने का पानी, आवास, प्राथमिक शिक्षा को मुख्य उद्देश्य बनाया गया है जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी ही सूचनायें देने की जिम्मेदारी लेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त एस0सी0पी0, सब ट्राईबल प्लान भी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप चालू की जायेंगी। अनुश्रवण एवं सूचना की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी। उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग विद्यार्थी हित में अनेक शिक्षणेत्तर गतिविधियों का संचालन कर छात्र के चहुमुखी विकास हेतु अनेकानेक गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। सूचना विधेयक के अन्तर्गत तत्सम्बन्धित निम्नवत् महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सूचना का संकलन भी अनिवार्य रूप से जनापयोगी होगा। जो लाभार्थियों द्वारा वांछित हो सकती है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रोपयोगी कल्याणकारी योजनायें

- योग्यता छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति
- एकीकृत छात्रवृत्ति
- जू0हा0 योग्यता छात्रवृत्ति
- समाज कल्याण छात्रवृत्ति
- शैक्षिक ऋण योजना
- विद्यालयी छात्रावास एवं अन्य छात्रवृत्ति
- पुस्तक सहायता
- ओलम्पियाड्स
- बाल कल्याण सहायता कोष
- प्रधानमंत्री/राज्यपाल छात्रवृत्ति
- हिमगिरी छात्रवृत्ति
- निःशुल्क पुस्तक सहायता
- परिषदीय परीक्षा आवेदन पत्र
- संस्थागत/व्यक्तिगत
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सम्बन्धी सुविधायें
- राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार योजना
- जनपद शिक्षक पुरस्कार (बेसिक शिक्षा)
- शिक्षण कल्याण कोष
- एन0सी0सी0
- एन0एस0एस0
- सशस्त्र सेना दिवस
- विकलांग कल्याण कोष
- बाल बीमा योजना

- महिला उन्थान योजना
- कम्प्यूटर शिक्षा
- व्यावसायिक शिक्षा योजना
- कैंसर संचेतना
- स्कूल एड्स प्रोग्राम
- पर्यावरणीय शिक्षा, ईको क्लब
- ग्लोब परियोजना
- यू प्रोब परियोजना
- विभिन्न विभागों से अन्तरसम्बन्ध जैसे–वन विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जल संस्थान, समाज कल्याण इत्यादि।
- कार्यानुभव एवं खेल–कूद परियोजनायें
- कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण
- कम्प्यूटर शिक्षा आदि–आदि।

उत्तराखण्ड सरकार में शिक्षा विभाग की संरचना में परिवर्तन कर इसकी ढांचागत व्यवस्था को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल व्यक्ति से लेकर विभिन्न जिम्मेदार ईकाइयों तक पहुंचाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था की है–

1. मुख्यालय स्तर पर– (प्रदेश राजधानी)/शिक्षा निदेशालय
2. मण्डल स्तर–मण्डल मुख्यालय (अपर शिक्षा निदेशक)
3. जनपद स्तर पर – मुख्य शिक्षा अधिकारी (जनपद कार्यालय)
4. ब्लाक स्तर पर– ब्लाक शिक्षा अधिकारी (ब्लाक संसाधन केन्द्र/ब्लाक स्थित रा0इ0का0)

उपर्युक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक अनुसंधान हेतु गठित राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा अकादमिक मूल्यांकन हेतु गठित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् भी महत्वपूर्ण संस्थान है।

सम्पूर्ण प्रदेश के अकादमिक कार्य 1921 में निर्मित इण्टरमीडिएट के प्राविधानों के अनुरूप संचालित होता है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए परिषद् उत्तरदायी है। इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 के तहत् बोर्ड भी एक स्वायत्त संस्था है तथा गोपनीयता का विशेषाधिकार इण्टरमीडिएट एक्त के अनुरूप परिषद् का सुरक्षित है।

अतः शिक्षा विभाग में सूचना के अधिकार उक्त ऐक्ट की सीमाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थानों पर गोपनीयता की दृष्टि से शासन, प्रशासन एवं सभी अकादमिक सीमाओं के लिए सुरक्षित रहेगा ताकि परीक्षा की सुविधा, मूल्यांकन की निष्पक्षता एवं प्रदेश की वास्तविक मेघा को उचित संरक्षण प्राप्त हो सके। शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं उसके पाल्य के लिए निहित प्राविधानों के अनुरूप एक खुलापन एवं पारदर्शिता का प्रतीक है। ज्ञान को सीमाओं में नहीं बाधा जा सकता है। बुद्धिलब्धि एवं शिक्षक के महत्व की स्वीकार्यता के साथ शिक्षा विभाग जनोपयोगी महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ जुड़ा हुआ है, जो भावी पीढ़ी को समुचित मार्गदर्शन देने हेतु कृतसंकल्प है।

प्रत्येक अभिभावक का अधिकार जहॉ उसके पाल्य के लिए की जा रही गतिविधियों की सूचना प्राप्त करना होगा, वहीं उसकी अनिवार्य सहभागिता भी शैक्षणिक परिवेश के गठन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः सूचना के अधिकार का यह विधेयक परस्पर सहभागिता का शशक्त माध्यम् सिद्ध होगा।

ifjf'k"B

1. अधिनियम्
2. स्थानीय निकाय, क्षेत्र समितियां सम्बन्धी ऐक्ट
3. क्षेत्र समितियों तथा परिषदों के अधिकार व कृत्य
4. जिला परिषद की समितियां
5. क्षेत्र समितियों के अधिकार व कृत्य
6. जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों के अधिकार व कर्तव्य
7. ग्राम पंचायत की शक्तियां तथा कार्य
8. ग्राम पंचायतों की समितियों के कार्य व दायित्व

mRrj izn'k {k= lfefr rFkk ftyk ifj"kn vf/kfu;e 1961

¼mRrj izn'k vf/kfu;e l[;k&33] 1961½

उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 2, 1963, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 24, 1963, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 16, 1965, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 14, 1968, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 6, 1969, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 19, 1970, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 22, 1970, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 18, 1971, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 26, 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 34, 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 3, 1973, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 5, 1974, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 37, 1976, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 38, 1978, उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 8, 1984 द्वारा संशोधित।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 14 सितम्बर 1960 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार कर लिये गये।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवम्बर 1961 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 3 दिसम्बर 1961 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए।

vf/kfu;e

उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 26, 1947– यह इस्टकर है कि शासकीय कृत्यों के लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित गॉव सभाओं के अधिकारों तथा कृत्यों का क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों से समन्वय करने के लिए खण्ड तथा जिला स्तरों पर कुछ शासकी कृत्यों के सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश के जिलों में क्रमशः क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के 12वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम् बनाया जाता है–

1. ''उपविधि'' का तात्पर्य इस अधिनियम् द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनायी गयी उपविधि से है।
2. ''कलक्टर'' के अन्तर्गत वह अपर (एडिसनल) कलक्टर भी है जिसे कलक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम् के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो।
3. ''क्षेत्र समिति'' का तात्पर्य धारा–5 के अधीन स्थापित क्षेत्र समिति से है तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्र समिति की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा क्षेत्र समिति के इस अधिनियम् के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम् द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो।
4. ''खण्ड'' का तात्पर्य जिले के किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार ने धारा–3 के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किया हो।
5. ''गॉव सभा'', ''गॉव पंचायत'' और ''र्सकिल'' के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट उत्तर प्रदेश अधिनियम् संख्या 26, 1947 में दिये गये हैं।
6. ''गृह'' के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (सेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिए प्रयुक्त कोई भाड़ा भी है।
7. ''ग्राम्य क्षेत्र'' का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटिफाईड ऐरिया, टाउन एरिया, छावनी, नगर महापालिका क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है।

8. ''जिला परिषद्'' तथा ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा–17 के अधीन स्थापित जिला परिषद् से होगा। तथा इसके अन्तर्गत जिला परिषद् की कोई समिति तथा उसका (जिला परिषद का) कोई सदस्य अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा जिला परिषद के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम् द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो।
9. ''जिला परिषद सेवक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो जिला परिषद् से वेतन पाता हो और उसकी सेवा में हो।
10. ''डिस्ट्रिक बोर्ड'' तथा ''बोर्ड'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्रविसेज डिस्ट्रिक बोर्ड एक्ट 1922 के अधीन स्थापित डिस्ट्रिक बोर्ड से है।
11. ''जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य कोर्ड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1898 (एक्ट सं0 5, 1898) की धारा 10 के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से है।
12. ''जिला स्तर के अधिकारी'' का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करे।
13. ''त्रिमास'' का तात्पर्य तीन महीने की उस अवधि से है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी महीने के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ हो।
14. {(क) ''नगरपालिका'' ''नगरपालिका बोर्ड'' तथा ''नोटिफाइड एरिया'' के वहीं अर्थ होंगे जो यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 के अधीन क्रमशः ''म्यूनिसिपैलिटीज'' ''म्यूनिसिपल बोर्ड'' तथा ''नोटिफाइड एरिया'' के हैं।
(ख) ''टाउन एरिया'' का वही अर्थ होगा जो यू0पी0 टाउन एरियाज एक्ट 1914 में दिया गया है।
(ग) ''छावनी'' तथा ''छावनी बोर्ड'' के वही अर्थ होंगे जो कन्टोनमैंट्स एक्ट 1924 के अधीन क्रमशः ''कन्टोनमैंट'' तथा ''कन्टोनमैंट बोर्ड'' के हैं।
(घ) ''नोटिफाइड एरिया कमेटी'' या ''टाउन एरिया'' की कमेटी का तात्पर्य यू0पी0 टाउन एरियाज एक्ट 1914 की धारा–5 के अधीन स्थापित कमेटी से है।}
15. ''नगरमहापालिका'' का तात्पर्य उ0प्र0नगरमहापालिका अधिनियम 1959 के अधीन स्थापित नगरमहापालिका से है।
16. ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम या तत्अन्तर्गत निर्मित किसी नियम द्वारा नियत से है।
17. ''नियत प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिए नियत प्राधिकारी के रूप में गजट में विज्ञापित किया गया हो।
18. ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है।
19. ''निर्वाचक निदेशक(स्थानीय निकाय)'' का तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे।
20. किसी खण्ड या जिले के सम्बन्ध में ''निश्चित दिनांक'' का तात्पर्य क्रमश धारा 5 या 17 के अधीन विज्ञापित दिनांक से है।
21. ''न्यायाधीश'' का तात्पर्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक जज) से है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश के द्वारा तदर्थ नामांकित या नामोदिप्ट् कोई अन्य अधीनस्थ दिवानी न्यायाधिकारी (सिविल जूडिसियल ऑफिसर) भी है।
22. ''भूमि प्रबन्धक समिति'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज एक्ट यू0पी0 एक्ट संख्या 26, 1947 में यथा परिभाषित भूमि प्रबन्धक समिति से है।
23. ''मण्डल'' ''जिला'' या ''तहसील'' के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्रविसेज लैण्ड रेवन्यू एक्ट यू0पी0 एक्ट संख्या 3, 1901 में क्रमशः ''डिविजन'' ''डिस्ट्रिक'' तथा ''तहसील'' शब्दों के हैं।

24. किसी क्षेत्र समिति अथवा परिषद के सम्बन्ध में ''मण्डलायुक्त'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्रविसेज लैण्ड रेवन्यू एक्ट यू0पी0 एक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 12 के अधीन उस मण्डल (डिविजन) के लिए आयुक्त से है जिसके भीतर यथास्थिति, क्षेत्र समिति अथवा परिषद अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है तथा उक्त एक्ट के धारा 13 के अधीन उस मण्डल के नियुक्त अपर आयुक्त भी इसके अन्तर्गत हैं।
25. ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।
26. ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।
27. ''लोक सेवक'' का तात्पर्य इण्डियन पीनल कोर्ड एक्ट सं0 45, 1860 की धारा 21 में यथा परिभाषित ''पब्लिक सर्वेन्ट'' से है।
28. ''वयस्क'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
29. ''विधान सभा की निर्वाचक नामावली'' का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है, जो रिप्रजेंटेशन ऑफ दि प्यूपिल एक्ट यू0पी0 एक्ट सं0 43, 1950 के उपबन्धों के अनुसार तथा अधीन तैयार की गई हो।
30. ''विनियम'' का तात्पर्य अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाये गये विनियम से है।
31. किसी खण्ड के सम्बन्ध में ''संघटक गॉव पंचायत'' तथा ''संघटक गॉव सभा'' का तात्पर्य क्रमशः उस ग्राम पंचायत या गॉव सभा से है जो खण्ड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।
32. { ''सरकार'' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय संघ के किसी राज्य की सरकार से है।
33. ''सरकार की सेवा में व्यक्ति'' के अन्तर्गत जिला सरकारी अभिभाषक, अपर या सहायक जिला सरकारी अभिभाषक, कोई ऐसा अन्य अभिभाषक जिसे सरकार ने रखा हो, परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, सरकारी कोषाध्यक्ष, पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया हो, नहीं है।
34. ''सार्वजनिक सड़क'' का तात्पर्य उस सड़क, पुल, पुलिया, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने–जाने का जनसाधारण की विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित जो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो।
35. ''सार्वजनिक स्थान'' का तात्पर्य उस स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो और जनसाधारण के प्रयोग तथा उपभोग के लिए खुला हो, चाहे वह स्थान स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या न हो।
36. ''स्थानीय प्राधिकारी'' के अन्तर्गत गॉव सभा भी है।}

v/;k;&2

{k= lfefr;k rFkk ftyk ifj"kn

{k= lfefr;k

3&xkE; {k=k dk [k.Mk e foHkkt u& राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिला के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकती है।

4&[k.Mk e ifjorZu dk iHkko&यदि धारा 3 के अधीन कोई क्षेत्र एक खण्ड से निकालकर दूसरे में सम्मिलित किया जाय तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड को क्षेत्र समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिसे वह निकाला गया हो।

v/;k;&3

{k= lfefr;k rFkk ftyk ifj"knk d vf/kdkj vkj dR;

31&vf/kfu;e d v/khu vf/kdkjk dk i;kx vkj dR;k dk lEiknu&(1) प्रत्येक क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त अथवा सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी समय अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उससे नीचे के स्तर पर तत्समय सम्पादित किसी कृत्य को किसी क्षेत्र समिति अथवा समस्त क्षेत्र समितियों या किसी जिला परिषद अथवा समस्त जिला परिषदों को सौंप सकती है। इस प्रकार सौंपे गये कृत्य को वापस ले सकती है।

32&{k= lfefr;k d lkekU; vf/kdkj vkj dR;&प्रत्येक क्षेत्र समिति, खण्ड के भीतर अनुसूची एक में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी।

33&ftyk ifj"kn d lkekU; vf/kdkj vkj dR;&(1) प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी–

1. जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे उनसे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का गॉव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद द्वारा प्रबन्ध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए क्रमशः गॉव पंचायत के मेलों तथा उत्सवों, क्षेत्र समिति के मेलों तथा उत्सवों और जिला परिषद के मेलों तथा उत्सवों के रूप में वर्गीकरण और जब ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाय, तो ऐसे वर्गीकरण को बदलना।
2. गॉव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद द्वारा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तग्रप्ति सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
3. जिले की गॉव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्य–क्लापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
4. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र समितियों और गॉव पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यक के रूप में कार्य करना।
5. अनुसूची 2 के भाग–क में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जायं।

(2) अनुसूची 2 के भाग–ख में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जिला परिषद जिले के भीतर समुचित व्यवस्था कर सकती है।

34&ftyk ifj"kn ;k {k= lfefr }kjk viu fdlh dR; ;k vU; LFkkuh; ikf/kdkjh dk ifrfu/kku&(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के

अधीन रहते हुए जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी समय राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृति से जिले में विद्यमान किसी गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की सम्मति से उक्त गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति को उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत वह गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो। इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला परिषद या क्षेत्र समिति किसी भी समय राज्य सरकार की स्वीकृति से इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार या कृत्य को वापस ले सकती है।

(2) जिला परिषद् क्षेत्र समिति को क्षेत्र समिति जिला परिषद को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को इसी प्रकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि जिला परिषद का कोई अधिकार या कृत्य जिले में क्षेत्र समितियों या गॉव सभाओं को संक्रमित किया जाय या क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार या कृत्य गॉव सभाओं को संक्रमित किया जाय या क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार या कृत्य जिला परिषद को और गॉव सभाओं का क्षेत्र समितियों या जिला परिषद संक्रमित किया जाय।

35&Vkmu ,fj;k defV;k rFkk xkao dk lEcU/k e dfri; vf/kdkj&(1) जिले के समस्त गॉव सभाओं के सम्बन्ध में अनुसूची 3 के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारों कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन निश्चित दिनांक से जिला परिषद अथवा क्षेत्र समिति जिसकी वह संघटक गॉव सभा हो जैसा भी उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित हो, द्वारा किया जायेगा।

(2) यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 या 1950 ई0का उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई जिला परिषद जिले की किसी गॉव सभा से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यो में से किसी का समन्वय क्षेत्र समिति के उसी प्रकार के कार्यो से करे और तद्परान्त गॉव सभा और उसकी गॉव पंचायत तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूति करेगा।

36&xkao lHkkvk }kjk cuk;h x;h mifof/k;k rFkk mud dj lEcU/kh iLrkoka dk Lohdkj djus dk vf/kdkj&यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 तथा तद्अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी–

(क)–जिले के किसी गॉव सभा द्वारा उक्त एक्ट की धारा 37 में वर्णित कोई कर अथवा उपशुल्क आरोपित करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अनुमोदित और स्वीकृत करने का अधिकार तथा उक्त एक्ट की धारा 111 तथा 112 के अधीन जिले भीतर किसी गॉव सभा के निमित्त उपविधियां बनाने और स्वीकृत करने का अधिकार निश्चित दिनांक से जिले के जिला परिषद् में निहित होगा और उसी को प्राप्त होगा।

(ख)– जिले के प्रत्येक गॉव सभा के लिए जब भी उसके जिले की जिला परिषद ऐसी अपेक्षा करे, यह अनिवार्य होगा कि वह अपने द्वारा यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन अपने आरोपित करों और उपशुल्कों से प्रतिवर्ष हुई आय तथा उक्त एक्ट के अधीन निर्मित उपविधियों के प्रवर्तन के फलस्वरूप होने वाले आय का अपना अंश जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, उक्त जिला परिषद को दे और इस प्रकार प्राप्त धनराशियां उस जिले की कुछ या समस्त गॉव सभाओं के सामान्य लाभ के निमित ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी रीति से प्रयुक्त की जायेंगी जो नियमों द्वारा नियत की जायें

37&ftyk ifj"kn vkj {k= lfefr;k dk {k=kf/kdkj dk lEcU/k e viokn&इस अधिनियम् में कोई बात–

(1) न तो किसी क्षेत्र समिति या जिला परिषद को उसके नियंत्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा सम्पादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रदान करेगी, और

(2) न किसी क्षेत्र समिति या जिला परिषद को किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र समिति या जिला परिषद :–

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, औषधालय, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है, और

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

38&{k= lfefr ;k fty ifj"kn dk vU; ikf/kdkfj;k d lkFk lg;kx djuk rFkk ,slh lLFkkvk dh] ftldk og icU/k u djrh gk] lgk;rk dju dk vf/kdkj&इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए क्षेत्र समिति या जिला परिषद–

(क) किसी अन्य क्षेत्र समिति या जिला परिषद जैसी भी दशा हो या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यो या उपक्रमों में सम्मिलित हो सकती है, जिससे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुॅचता हो, और

(ख) ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दे सकती है, जिससे, यथास्थिति, खण्ड या जिले को लाभ पहुॅचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड या जिले के बाहर किया जाय या संस्था खण्ड या जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी नगरमहापालिका, नगरपालिका, छावनी, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हो।

vuqlwph&2
¼/kkjk 33 nf[k,½
ftyk ifj"kn d vf/kdkj rFkk dR;
Hkkx&d

1&i'kqikyu&

(1) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए जिले के ग्राम्य क्षेत्रों में ऐसी निजी या सार्वजनिक भूमि पर जो गॉव सभा के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, लगने वाले पशुबाजारों तथा मेले का नियंत्रण और विनियम।

(2) पशु चिकित्सा की उच्चतर तथा अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था।

2&xke rFkk dVh m|kx&

(3) ग्राम तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए जिला केन्द्र की स्थापना, क्षेत्र समितियों को ग्राम कुटीर उद्योगों के प्रसार तथा विकास में सहायता।

3&fpfdRlk rFkk tu LokLF;&

(4) महामारी के निवारण तथा नियंत्रण में क्षेत्र समितियों की सहायता देना तथा धन की समुचित व्यवस्था करना।

(5) जन चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपचार गृहों की स्थापना प्रबन्ध तथा अनुरक्षण

(6) परिवार नियोजन

(7) जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करने में क्षेत्र समितियों को सहायता देना तथा धन समुचित व्यवस्था करना। मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल को कलुषित होने से बचाना और कलुषित जल का इस प्रकार के प्रयोग किये जाने से रोकना।

(8) क्षोभकर, खतरनाक या घ्रणित व्यापारों, व्यावसायों या कार्यो का विनियमन।

4&f'k{kk ,oa lkaLdfrd dk;Z&

(9) प्राथमिक स्तर से उपर की शिक्षा, पुस्तकालयों, अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्कूलों का निरीक्षण तथा छात्रवृत्तियों की स्थापना की व्यवस्था तथा उसकी व्यवस्था में सहायता।

(10) शरीर सम्वर्धन स्वंयसेवक दल की स्थापना और उसकी सहायता

(11) मेलों, कृर्षि एवं औद्यौगिक प्रदर्शनियों तथा पशु पर्दशनियों का संचालन व प्रबन्ध।

(12) पदाधारियों तथा अन्य व्यक्तियों के अर्न्तखण्ड शिविरों, अधिवेशनों, गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

5&lkoZtfud fuekZ.k&

(13) सार्वजनिक सड़कों, पुलों तथा निरीक्षण गृहों का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण और सामान्यता संचार साधनों का सुधार।

(14) सार्वजनिक सड़कों के दोनों ओर तथा जिला परिषद् में निहित अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना और उनका परिरक्षण।

(15) जिला परिषद के उद्देश्यों से सम्बन्धित भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण।

(16) अर्न्तखण्ड जल, कल, बाधों तथा जलोत्सारण कार्यो तथा ऐसे अन्य कार्यो तथा तालाबों का निर्माण व मरम्मत जो राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद को सौंपें गये हों, तथा उनसे व अन्य स्रोतों से जल सम्भरण।

6&lgk;rk dk;Z&

(17) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण कार्य का सम्पादन, उनकी मरम्मत तथा उनका अनुरक्षण सहायता कार्यो तथा सहायता गृहों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण तथा दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाय।

(18) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों तथा विश्राम गृहों की स्थापना प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा निरीक्षण।

7&fu;kstu o vkdM+k&

(19) जिला योजना की रूपरेखा तैयार करना।

(20) क्षेत्र समितियों द्वारा निर्मित योजनाओं का पुर्नवलोकन, उनका समन्वय एवं एकीकरण।

(21) खण्ड के समस्त कृषि उत्पादन, निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमों पर निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न कार्यक्रम योजनानुसार उचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं तथा जिला योजनाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना।

(22) सरकार तथा अन्य अखिल भारतीय या राज्य बोर्डो, आयोग इत्यादि द्वारा जिले के प्रविष्ठ तदर्थ अनुदानों का उनके साधारण अथवा विशिष्ट निर्देशों के समानुरूप वितरण।

(23) कार्यक्रमों का मूल्यांकन और सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा।

(24) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर आधार सामग्री एकत्र करना तथा आकड़े रखना।

(25) प्रतियोगितायें आयोजित करना तथा ईनामों तथा पुरस्कारों का वितरण।

8&i'kklu&

(26) ऐसी विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन तैयार करना जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार परिषद से करे।

(27) पड़ाव के मैदानों के विनियमन तथा जहॉ सरायज एक्ट 1867 प्रचलित हो वहॉ सरायों और पड़ावों का विनियमन जिसके अन्तर्गत उक्त एक्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी सम्मिलित हैं, जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे।

(28) ऐसे सार्वजनिक घाटों का प्रबन्ध जो नॉर्दन इण्डिया फेरिज एक्ट 1878 की धारा 7 ए के अधीन परिषद को सौंपे जायं।

Hkkx&[k

1. पूर्व निर्मित तथा अनिर्मित क्षेत्रों में नई सार्वजनिक सड़कों बिन्यास तथा तदर्थ एवं उक्त सड़कों से लगे हुए भवनों और उनके आहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना।
2. अस्वास्थ्य कर क्षेत्रों का सुधार।
3. स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बड़ाना।
4. जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिए पारितोषिक देना जिससे जन्म–मरण के आकड़ों की ठीक–ठीक प्रवृष्टि हो सके।
5. कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना और प्राप्त करने में सहायता देना।
6. अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल सम्भरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुँचाये जाने या दूषित होने से बचाना।
7. पर्यटन की उन्नति।
8. जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की स्वीकृति से जिला परिषद द्वारा, जिला निधि पर उपयुक्त नीति से भारित व्यय घोषित किया गया है।

vuqlwph&3

¼ /kkjk 35 nf[k, ½

यूनाइटेड प्रविसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य जो जिला परिषद अथवा क्षेत्र समिति जैसा कि तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित है, द्वारा प्रयुक्त तथा सम्पादित किये जायेंगे–

यू0पी0पंचायत राज एक्ट 1947 की धारा	अधिकार तथा कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्ति या सम्पादित किये जायेंगे
9	गॉव सभा के सदस्यों का रजिस्टर तैयार करवाना	क्षेत्र समिति
11 (1)	गॉव सभा की बैठक बुलाये जाने की अपेक्षा करना तथा उसकी बैठक बुलाना	क्षेत्र समिति
12–ई	गॉव पंचायत के प्रधान तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सहायक सरपंचों के पद की शपथ दिलाना	क्षेत्र समिति
12–एफ	गॉव पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान तथा सदस्यों के त्यागपत्रों को ग्रहण करना	जिला परिषद
17–ई	सिंचाई की छूटी योजनाओं को हाथ में लेने, गॉव पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृत करना	क्षेत्र समिति
20	(1) प्राथमिक स्कलू अथवा आर्युवैदिक, होम्योपैथिक अथवा युनानी अस्पताल या औषाधालय स्थापित तथा अनुरेक्षित करने के लिए खण्ड में स्थित पास–पड़ौस की गॉव सभाओं के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निर्देश देना	क्षेत्र समिति
	(2) प्राथमिक स्कलू अथवा आर्युवैदिक, होम्योपैथिक अथवा युनानी अस्पताल या औषाधालय स्थापित तथा अनुरेक्षित करने के लिए अर्न्तखण्ड, पास–पड़ौस की गॉव सभाओं के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निर्देश देना	जिला परिषद
25 (1)	पंचायत द्वारा किसी ऐसे पदों के सृजन का अनुमोदन करना जिसके लिए उसके बजट में व्यवस्था न हो	क्षेत्र समिति

25 (4)	(1) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड के अन्दर स्थानान्तरण करना	क्षेत्र समिति
25 (5)	(2)पंचायत कर्मचारियों का खण्ड के बाहर स्थानान्तरण करना, न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियां स्वीकृत करना, तथा उनके सम्बन्ध में स्थानान्तरण दण्ड पदमुक्ति तथा पदच्युक्ति के अधिकारों का प्रयोग करना	क्षेत्र समिति
25–ए	(1) पंचायत सेकेट्रियों की नियुक्ति करना तथा उन पर पदोन्नति, पदच्युत तथा हटाये जाने सम्बन्धी प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार	जिला परिषद
	(2) पंचायतों सेकेट्रियों पर छुट्टी, स्थानान्तरण तथा अन्य अनुशासन सम्बन्धी अधिकार, जिसमें नियुक्ति पदोन्नति, पदच्युत तथा हटाये जाने सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित नहीं हैं	क्षेत्र समिति
27	गॉव पंचायत के किसी धन अथवा सम्पत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरूपयोग के लिए ग्राम पंचायत संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध दिवानी वाद चलाने की स्वीकृति देना	जिला परिषद
30 (2)	(1) खण्ड के अन्दर स्थित संयुक्त समिति की संघटक इकाईयों के बीच विवादों को तय करना	क्षेत्र समिति
	(2) संयुक्त समिति के अर्न्तखण्ड संघटक इकाईयों के बीच विवादों को तय करना	जिला परिषद
36	एक गॉव सभा को दूसरी गॉव सभा से ऋण लेने की स्वीकृति देना	क्षेत्र समिति
37–ए (2)	गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उप शुल्क लगाने के लिए गॉव सभा को निर्देश देना	क्षेत्र समिति
37–बी	यदि गॉव सभा अपने अदेयों के माल गुलारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करे तो पंचायत करों का माल गुलाजी के बकाया के रूप में वसूल किया जाना प्राधिकृत करना	क्षेत्र समिति
37–सी (2)	सरकार द्वारा नियत की गई परिस्थितियों में किसी कर या उपशुल्क के पूर्णतः या अंशतः छूट देना	जिला परिषद
37–सी (3)	किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के निर्णय को अनुमोदित करना	क्षेत्र समिति
39 (1)	उस अनुपात को निर्धारित करना जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्किल में सम्मिलित गॉव सभाओं की गॉव निधियों पर भारित होंगे	क्षेत्र समिति
41 (3)	गॉव के वार्षिक बजट को अनुमोदित करना तथा वार्षिक बजट में पहले ही अनुमोदित विषय पर बजट में प्रवृष्टि राशि के भीतर गॉव पंचायत द्वारा व्यय किये जाने का अनुमोदन करना	क्षेत्र समिति
41 (4)	यदि गॉव सभा द्वारा बजट पास न किया गया हो तो उसका बजट तैयार करना तथा उसे पारित करवाने के लिए गॉव सभा को भेजना	क्षेत्र समिति

41 (5)	गॉव सभा के बजट में किसी भी समय संशोधन अथवा परिवर्तन करना	क्षेत्र समिति
96	किसी गॉव सभा गॉव पंचायत या संयुक्त समित या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना यदि उसकी (नियत प्राधिकारी) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जनसाधारण या विधितः नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिए अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की सम्भावना हो अथवा उससे मानव जीवन स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो या होने की सम्भावना हो अथवा दंगा या हंगामा होने की सम्भावना हो	जिला परिषद
98	पंचायत उपविधियों के शास्ति खण्ड की स्वीकृति देना	जिला परिषद
114	पंचायत राज एक्ट के अधीन संघटित किसी निकाय में हुई किसी रिक्ति को यदि वह छः माह से अधिक के लिए न हो न भरने का निर्देश देना	जिला परिषद

vu|l|ph&4
¼/kkjk 56 nf[k, ½
ftyk ifj"kn d: vf/kdkj rFkk dR;

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को जिले के भीतर किसी गॉव सभा गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार को वापस लेना	—
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को क्षेत्र समिति को प्रतिनिहित करना या क्षेत्र समिति द्वारा कोई अधिकार या कृत्य परिषद को प्रतिनिहित किये जाने के सम्बन्ध में सम्मति देना	—
35 (1)	गॉव सभाओं के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना	कार्य समिति, अध्यक्ष या मुख्य अधिकारियों को पूर्णतः या अंशतः एक को और अंशतः अन्य को प्रतिनिहित किया जा सकता है
35 (2)	जिले की किसी गॉव सभा से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का समन्वय क्षेत्र समिति की उसी प्रकार की कार्यवाहियों से करें	प्रतिनिहित किया जा सकता है
36—क	कोई कर अथवा उपशुल्क आरोपित करने के किसी गॉव सभा के प्रस्ताव को अनुमोदित करना और उसे स्वीकृत करना तथा किसी गॉव सभा के निमित उपविधियां बनाना और उन्हें स्वीकृत करना	कार्यसमिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है

36–ख	गॉव सभा से यह अपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा यू0पी0 पंचायत राज एक्ट 1947 के अधीन आरोपित करों और उपशुल्कों से प्रतिवर्ष प्राप्त आय का तथा उक्त एक्ट के अधीन निर्मित उपविधियों के पर्वतन के फलस्वरूप प्राप्त आय का अंश जिला परिषद को दे	–
39 (2)	धारा 39 (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पदों से भिन्न पदों का सृजन करना या ऐसे पद का सृजन करना जिसके सृजन का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो	–
41 (1) क	राज्य सरकार से प्रार्थना करना कि वह अपने किसी कर्मचारियों के सेवायें परिषद् को सौंप दें	–
9 (1)	कार्य अधिकारी अभियन्ता और कर अधिकार के पदों पर तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना जिनका प्रारम्भिक वेतन 200/–रू0 प्रतिमास या उससे अधिक हो	–
43 (4) (ख)	राज्य सरकार के अपेक्षानुसार किसी सरकारी कर्मचारी को परिषद की सेवा में कर लेना	–
46 (2) (घ)	किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करना	कार्यसमिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
48 (3)	प्रत्येक क्षेत्र समिति के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना	कार्यसमिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
51 (1)	मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण रखना	परिषद के सामान्य पथ प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जाना
51 (3)	वित्त अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखना	परिषद के सामान्य पथ प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जाना
57 (1)	परिषद के किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित करना	–
57 (3)	परिषद द्वारा प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील का निर्णय करना या उस आदेश पुनरीक्षण करना	–
64 (1)	समितियां नियुक्त करना	–
65 (1)	विनियम द्वारा अन्य समितियां नियुक्त करना	–
65 (2)	संकल्प द्वारा परामर्श समितियां नियुक्त करना	–
77 (1)	संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिए सहमति देने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त होना	–
86 (7)	नियोजन समिति की सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के दृष्टिकोंण पर विचार करना तथा निर्णय करना	–
93 (1)	समिति कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मांगना	अध्यक्ष को प्रतिनिहित किया जा सकता है

94 (1)	अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से कोई विवरणियां आदि देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना	–
95	कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श देने की अपेक्षा करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
100 (2)	खुले बाजार में ऋण लेना	–
101 (3)	जिला निधि से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या निधियों को सावधि निक्षेप में रखना	–
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
107	परिषद में निहित किसी सम्पत्ति को संक्रामित करना	कार्यसमिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
108	जिला निधि से प्रतिकर देना	कार्यसमिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है
110 (7)	बजट में परिवर्तन करना	–
115 (2)	क्षेत्र समिति के बजट की नियोजन समिति के समय रखना	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
115 (6)	बजट के बारे में क्षेत्र समिति तथा नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना	–
122	कर की वसूली गॉव सभा को सौंपना	–
124	कर सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना	–
131	कर के भुगतान से विमुक्त करना	–
132	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और कर के दोष को दूर करना	–
141	गॉव सभाओं की निधियों में अंशदान देना	–
143	लइसेंसों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिए शुल्क लेना	–
144	इस धारा में वर्णित शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना	–
190	किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण रेखा के समानुरूप न हो	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (5)	किसी व्यक्ति के निर्माण आदि करने से रोके जाने से होने वाली क्षति के लिए प्रतिकर देना	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना जो किसी सड़क की नियमित निर्माण रेखा का उल्लंघन करती हो	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की सहमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उप–धारा (1) के अधीन परिषद द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप करता हो	प्रतिनिहित किया जा सकता है

195	नली, सण्डास आदि को हटाये या उसे बन्द करने आदि की अपेक्षा करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
202	क्षोभकर व्यापारों को विनियमित करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
211	धारा 211 के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भूमि या भूम्याधिकारी अर्जित करना या अन्यता उसकी व्यवस्था करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
218	स्वास्थ्य के लिए हानिकर किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खान का प्रयोग सिंचाई की किसी रीति का निषेध करना	–
228 (2)	नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिनमें किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया गया हो, स्पष्टीकरण देना	–
232	परिषद के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्टीकरण देना	–
239	उपविधियां बनाना	–
246	यदि परिषद के नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना या उस वस्तु की व्यवस्था करना या वह कार्य करवाना और इस सम्बन्ध में किया गा कुल व्यय वसूल करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
सामान्य	कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य परिषद द्वारा प्रयोग या सम्पादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो	–

vu|l|ph&5
¼/kkjk 56 n|f[k;|½
e|[; vf/kdkjh d| vu|l|fpr vf/kdkj rFkk dR;

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
34 (1)	जिला परिषद द्वारा गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति में से किसी को अपने कोई अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित करने के लिए सम्बद्ध निकाय की सम्मति प्राप्त करना	—
34 (2)	ऐसा अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिए क्षेत्र समिति की सम्पत्ति प्राप्त करना जिसे क्षेत्र समिति को प्रतिनिहित करने का जिला परिषद का प्रस्ताव हो	—
43 (1)	ऐसे पदों पर जिसका प्रारम्भिक वेतन रू0 200/—प्रतिमास या उससे अधिक हो, नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिए आयोग को लिखना	—
86 (4)	खण्ड की योजना का प्रालेख प्राप्त करना	—
86 (5)	नियोजन समिति की सिफारिशों के साथ क्षेत्र समिति की योजना लौटा देना	—
101 (3)	कतिपय प्रतिभूतियों में जिला निधि की धनराशि लगाने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	—
102 (2)	जिले की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	—
113	अन्तिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डलायुक्त तथा राज्य सरकार को भेजना	—
115 (3)	क्षेत्र समिति के बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति का अनुमोदन या सिफारिश समिति को संसुचित करना	—
123 (3)	कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा नियमों के प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना	—
124 (2)	कर सम्बन्धी परिष्कृत प्रस्तावों और नियमों के पुनरीक्षित प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना	—
128	उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजना जिसमें करारोपण का निर्देश दिया गया हो	—
148	मांग का बिल जारी करना	—
150	मॉग का नोटिस जारी करना	—
155	जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना पत्र देना कि वह ग्राम्य क्षेत्र के बाहर या अन्य मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के अभिहरण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करें	—
158	परिषद को देय धनराशियों की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत करना	—
159	लगान या किराये के किसी बकाये की माल गुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना	—

206	परिषद के खड़जें, गन्दी नाली आदि को किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिए लिखित स्वीकृति देना तथा जिला परिषद द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना	—
208	कोई इमारत, कुआं आदि गिराने या हटाने आदि की अपेक्षा करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना	अपील की जा सकती है
210	फैक्ट्रियों, स्कूलों आदि में शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था की अपेक्षा करना	—
211	निजी कुअें, तालाब आदि को साफ कराने उसकी मरम्मत कराने, उसे ढकने, भरवाने या जलोत्सारित कराने की अपेक्षा करना	अपील की जा सकती है
212	किसी गन्दी भूमि या इमारत को साफ कराने तथा उसे उचित दशा में करने की अपेक्षा करना	अपील की जा सकती है
219	हानिकर बनस्पति को साफ करने का आदेश देना	अपील की जा सकती है
220	खोदे गये स्थान आदि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करना	अपील की जा सकती है

vuqlwph&6
¼/kkjk 79 nsf[k;s½
{ks= lfefr ds vf/kdkj rFkk d`R;

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
11 (1)	प्रमुख, उपप्रमुख या सदस्य से पद त्याग का नोटिस लेना	खण्ड विकास अधिकारी या उसके किसी नामांकिती द्वारा किया जाय
35 (1)	गॉव सभाओं के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना	कार्यकारिणी या प्रमुख को प्रतिनिहित किया जा सकता है
173	किसी सार्वजनिक नाली में परिवर्तन करना, उसे रोकना, बन्द करना या हटाना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
86	खण्ड का योजना के प्रालेख पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना	—
87 (1) तथा (2)	समितियां स्थापित करना	—
87 (3)	परामर्श समितियां नियुक्त करना	—
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण आदि मांगना	प्रतिनिहित किया जा सकता है

101 (3)	क्षेत्र निधि में से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या सावधि निक्षेप में रखना	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित भूमि का अर्जन करने के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
107 (1)	क्षेत्र समिति में निहित किसी सम्पत्ति को संक्रामित करना	कार्यकारिणी को प्रतिनिहित किया जा सकता है
108	क्षेत्र निधि में से प्रतिकर देना	कार्यकारिणी को प्रतिनिहित किया जा सकता है
115 (4)	बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार करना	–
142	क्षेत्र समिति में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क लेना तथा शुल्क को उद्ग्रहीत या वसूल करना	–
143	लाइसेंसों,स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिए शुल्क लेना	–
144	इस धारा में वर्णित कुछ अन्य शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना	–
145	क्षेत्र समिति द्वारा स्थापित अनुरक्षित या प्रबन्ध किये गये बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना	–
184 (3)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना	–
190	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना	–
191 (1) से (3) तक	आशय का विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारत के लिए सामान्य निर्माण रेखा परिभाषित करना	प्रतिनिहित किया जा सकता है
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क के नियमित निर्माण रेखा के समान रूप न हो सके	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (5)	किसी सड़क का नियमित निर्माण रेखा से किसी निजी भूमि के अपसर्जन के लिए प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति देना	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना जो किसी सड़क का नियमित निर्माण रेखा का उल्लंघन करता हो	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा
194	नाली, सण्डास आदि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा	कार्यकारिणी या खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जायेगा

236 (4) क	क्षेत्र समिति के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना	—
सामान्य	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य जिसका क्षेत्र समिति द्वारा प्रयोग या सम्पादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो	—

vuqlwph&7
¼/kkjk 79 ¼3½ nsf[k;s½
[k.M fodkl vf/kdkjh dks vuqlwfpr vf/kdkj rFkk dR;

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र समिति के किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को गॉव सभा, गॉव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करने के लिए उसकी सम्मति प्राप्त करना	—
34 (2)	क्षेत्र समिति का कोई अधिकार या कृत्य जिला परिषद को प्रतिनिहित करने के लिए उसकी (जिला परिषद की) सम्मति प्राप्त करना	—
101 (3)	क्षेत्र निधि का रूपया कतिपय प्रतिभूतियों में लगाने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	—
102 (2)	खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिए व्यय के निमित सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना	—
148 (धारा 161 के साथ पठित)	मॉग का बिल जारी करना	—

8&xke ipk;r dh 'kfDr;k rFkk dk;/

प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के कार्य–क्लाप तथा दायित्वों की सूची तैयार की गई है। इस सूची के अर्न्तत पंचायतों की 29 जिम्मेदारियों सुनिश्चित की गई हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 29 विषय, पंचायतों के अधीन किये गये हैं, जिसके लिए पृथक से 243 छ के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित विभागों एवं विषयों के दायित्व सौंपे गये हैं–

क्र.सं.	जिम्मेदारी	मुख्य कार्य
1	कृषि एवं कृषि विस्तार	▪ कृषि एवं बागवानी का विकास और प्रोन्नति ▪ बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास और उसके अनाधिकृत अतिक्रमण प्रयोग की रोकथाम
2	भूमि विकास, सुधार का कार्यान्वयन और चकबन्दी	▪ भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबन्दी और भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य ऐजेंसियों की सहायता करना
3	लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास	▪ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलपूर्ति का विनिमय
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग तथा कुक्कुट पालन	▪ पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुओं की नसलों में सुधार करना ▪ दुग्ध, उद्योग, कुक्कुट पालन तथा सुंअर पालन की प्रोन्नति ▪ गॉव में मत्स्य पालन विकास
5	सामाजिक और कृषि वानिकी	▪ सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण ▪ सामाजिक, वानिकी, कृषि वानिकी एवं रेशम उत्पादन का विकास करना
6	लघु वन उत्पाद	▪ लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति एवं विकास करना
7	लघु उद्योग	▪ लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना ▪ स्थानीय व्यापार में प्रोन्नति
8	लघु वन उद्योग	▪ लघु वन उत्पादन के कार्यक्रम की प्रोन्नति और उनका क्रियान्वयन
9	कुटीर और ग्राम उद्योग	▪ कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना ▪ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
10	ग्रामीण आवास	▪ ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ▪ आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के अभिलेखों का रख–रखाव तथ अनुरक्षण
11	पेयजल	▪ पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों, पोखरों का निर्माण ▪ अनुरक्षण तथा पेयजल के लिए जल सम्भारण के स्रोतों का विनिमय
12	ईधन व चारा भूमि	▪ ईधन व चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौंधों का विकास ▪ चारा भूमि के अनियमित चारा पर नियंत्रण

13	पुलिया, नौकाघाट तथा संचार के अन्य साधन	▪ गॉव की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण तथा अनुरक्षण ▪ जल मार्गो का अनुरक्षण। सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को हटाना
14	ग्रामीण विद्युतीकरण	▪ सार्वजनिक मार्गो तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना तथा अनुरक्षण करना
15	गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत	▪ गैर पारम्परिक उर्जा के कार्यक्रमों को बढावा देना प्रोन्नति तथा उनका अनुरक्षण
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	▪ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बड़ावा देना, प्रोन्नति एवं कार्यान्वयन
17	शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना	▪ तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा ▪ ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति
18	प्रौढ़, अनौपचारिक शिक्षा	▪ प्रौढ़, अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार
19	पुस्तकालय	▪ पुस्तकालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण
20	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्य	▪ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाक्लापों को बड़ावा देना ▪ विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन करना ▪ खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण
21	बाजार एवं मेले	▪ पंचायत क्षेत्रों के मेलों, बाजारों व हाटों को प्रोत्साहित करना
22	चिकित्सा एवं स्वच्छता	▪ ग्रामीण स्वच्छता को प्रोत्साहित करना ▪ महामारियों के विरूद्ध रोकथाम ▪ मनुष्य, पशु टीकाकरण के कार्यक्रम ▪ खुले पशु और पशुधन की चिकित्सा तथा उनके विरूद्ध निवारण कार्यवाही ▪ जन्म–मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 euvy l[;k&07
[k.M f'k{kk vf/kdkjh] /kkjpwyk ds ykd lpuk vf/kdkfj;ks ds inuke vkj vU; fof'kf"V;k

Ø- l-	ykd ikf/kdkjh	ykd lpuk vf/kdkjh	lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh
1	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला जनपद पिथौरागढ़।	श्रीमती सरोजनी ह्यांकी प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 धारचूला
2			श्रीमती देवकी बोरा प्रभारी प्रधानाचार्य रा0बा0इ0का0 धारचूला
3			सुश्री हंसा थलाल प्रभारी प्रधानाचार्या रा0इ0का0 बरम
4			श्री बद्री प्रसाद टम्टा प्रधानाचार्य रा0इ0का0 जौलजीबी
5			श्री हरीश राम प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 बलुवाकोट
6			श्री लालमणि जोशी प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 पंयापौड़ी
7			श्री शोणित वर्मा प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कालिका
8			श्री भूप सिंह धामी प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 रांथी
9			श्री आनन्द पाल प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 जुम्मा
10			श्री ज्ञान सिंह बोरा प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खेला
11			श्री ललित मोहन धामी प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खेत
12			श्री राम सिंह ऐरी प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खुमती
13			श्री संजय कुमार प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 पांगू
14			सुश्री गोविन्दी प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 माकम कैलाश
15			श्री हरिशंकर आर्य प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 जाराजिबली
16			श्री खान मोहम्मद सलीम वाजिद प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 लुमती
17			श्री अशोक कुमार शुक्ला प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 जयकोट
18			श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 पांगला
19			श्री माधवानन्द जोशी प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 स्यांकुरी
20			श्री रतन सिंह होतियाल प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 तीजम
21			श्री सत्य प्रकाश मिश्रा प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 कनार
22			श्री राजेश चन्द्र पन्त प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 तोली
23			श्री महेश राम लोहिया प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 मेतली
24			श्री राजेन्द्र सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 गलाती
25	नवीन उच्चीकृत विद्यालय		रा0उ0मा0वि0 खेलाधूरा
26	नवीन उच्चीकृत विद्यालय		रा0उ0मा0वि0 दर
27	नवीन उच्चीकृत विद्यालय		रा0उ0मा0वि0 छारछुम

e|u|vy& 08

fu.k; dju dh ifØ;k ¼i;o{k.k ,o mRrjnkf;Rop d Lrj lfgr½

01. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (सचिवालय मैनुअल और विजीनस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।) सचिवालय मैनुअल / विभिन्न अधिनियम/ सेवा नियमावलियॉ/ शिक्षा संहिता आदि

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ? –
उपरोक्त संग्रहों में प्रकाशित नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने की निम्नलिखित विधियों में से आवश्यकतानुसार कोई भी विधि अपनाई जा सकती है।

- जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कर लिया गया निर्णय।
- विभिन्न स्तरों से गठित जॉच समितियों का निर्णय।
- माननीय न्यालयों द्वारा निर्णय।
- राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्णय।
- किसी आयोग को गठित कर उसका निर्णय ।
- विगत अनुभवों के प्रतिफल के आधार पर वर्तमान में लिये गये निर्णय।

3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने के लिये क्या व्यवस्था है?– जनता स्वयं लोकाप्राधिकारी या अधीनस्थ सहायक सूचना अधिकारियों से प्राप्त कर सकती है। या उन्हें उनके द्वारा मांगे गये पते पर डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। यदि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया है।
4. विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?– विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/ बेसिक)
5. अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी?– जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

Ø-l-	idj.k ikIr gkus ij vfdr fd;k tk;xk
विषय (जिसके संबंध मं निर्णय लिया जाना है)	प्रकरण प्राप्त होने पर
दिशा–निर्देश (यदि हो तो)	
निर्णय लेने की प्रक्रिया	2 में उल्लेख किया गया है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पद नाम	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़

eluvy& 09

vf/kdkfj;k vkj deipkfj;k dh ukek dh funf kdk fu/kkfjr ik:i e &

dk;ky; [k.M f'k{kk vf/kdkjh /kkjpyk fiFkkjkx<A

Ø- l-	uke	in uke	, l-Vh- Mh- dkM	njHkk"k	QDl	bZ& esy	irk	vU; fooj.k
01	श्रीमती सरोजनी ह्यांकी	खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	05967	220434		beodhl@gmail.com	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	
02	श्रीमती सरोजनी ह्यांकी	उप शिक्षा अधिकारी बेसिक धारचूला	05967	220434			]]	
03	श्री सुरेन्द्र सिंह कन्याल	प्रशासनिक अधिकारी	05967	220434			कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	
04	श्री ठाकुर सिंह बाफेला	प्रधान सहायक	05967	220434			कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	
05	श्री सुनील कुमार	वरिष्ठ सहायक	05967	220434			कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	
06	श्री भुवन चन्द्र भट्ट	कनिष्ठ सहायक	05967	220434			कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	अधिसंख्य पद पर कार्यरत
07	श्री तारा सिंह धामी	अनुसेवक	05967	220434			कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	

euvy 10

iR;d vf/kdkjh vkj deipkjh }kjk ikIr ekfld ikfjJfed vkj mld fu/kkj.k dh i|fr fu/kkfjr ik:i ij&

dk;ky; [k.M f'k{kk vf/kdkjh /kkjpyk fiFkkjkx<+ mŸkjk[k.M

Ø- l-	uke	inuke	oruØe	ekfld ikfjJfed	ikfjrkf'k d @ ikfjrkf'k d HkŸkk	ikfjJfed d fu/kkj.k dh i}fr tk fu;ekoyh e nh x;h gk
1	श्रीमती सरोजनी ह्यांकी	खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला	9300—34800	48440.00	_	Basic Pay + Grad Pay +D.A 107% + H.R.A. +H..A. (according to Grade pay) =MonthlyEmoluments
2	श्रीमती सरोजनी ह्यांकी	उप शिक्षा अधिकारी बेसिक धारचूला	9300—34800	48440.00	_	
3	श्री सुरेन्द्र सिंह कन्याल	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800	38890.00	_	
4	श्री ठाकुर सिंह बाफेला	प्रधान सहायक	9300—34800	34530.00	_	
5	श्री सुनील कुमार	वरिष्ठ सहायक	5200—20200	26762.00	_	
6	श्री भुवन चन्द्र भट्ट	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	22372.00	_	
7	श्री तारा सिंह धामी	अनुसेवक	5200—20200	21390.00	_	

eSuqvy la[;k&11

o"kZ 2014&15 [k.M f'k{kk vf/kdkjh dk;kZy; /kkjpwyk¼04½

Lohd`r ctV dk lkis{k O;; dk fooj.k

en dk uke ,oa dksM	vk;kstusRrj ¼ukWu&IykWu½	
	Lohd`r	O;;
01—वेतन	270000.00	173906.00
03—महंगाई	249000.00	152862.00
04—यात्रा भत्ता	5000.00	—
05—स्था0या0भ0	—	—
06—अन्य भत्ते	46000.00	30360.00
07—मानदेय	—	—
08—कार्या0व्यय	10000.00	9979.00
09—विद्युत	—	—
10—जलकर	—	—
11—लेखन	10000.00	7850.00
12—कार्या0फर्नीचर	—	—
13—टेलीफोन	3000.00	—
15—गाड़ी अनु0	—	—
16—व्यावसायिक	—	—
17—किराया उप शुल्क	—	—
26—साज—सज्जा	—	—
27—चिकित्सा व्यय पूर्ति	—	—
29—अनुरक्षण	—	—
41—भोजन व्यय	—	—
42—अन्य व्यय	—	—
46—कम्प्यू0 हार्ड	—	—
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण	10000.00	2400.00

o"kZ 2014&15 mi f'k{kk vf/kdkjh dk;kZy; /kkjpwyk¼04½

Lohd`r ctV ds lkis{k 0;; dk fooj.k

en dk uke ,oa dksM	vk;ktuksRrj ¼ukWu&IykWu½	
	Lohd`r	0;;
01–वेतन	6050000.00	37540680.00
03–महंगाई	60600000.00	37773031.00
04–यात्रा भत्ता	–	–
05–स्था0या0भ0	–	–
06–अन्य भत्ते	7700000.00	5340300.00
07–मानदेय	11466000.00	9139000.00
08–कार्या0व्यय	10000.00	–
09–विद्युत	–	–
10–जलकर	–	–
11–लेखन	10000.00	7555.00
12–कार्या0फर्नीचर	–	–
13–टेलीफोन	–	–
15–गाड़ी अनु0	–	–
16–व्यावसायिक	–	–
17–किराया उप शुल्क	–	–
26–साज–सज्जा	–	–
27–चिकित्सा व्यय पूर्ति	14290.00	14283.00
29–अनुरक्षण	–	–
41–भोजन व्यय	–	–
42–अन्य व्यय	–	–
46–कम्प्यू0 हार्ड	–	–
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	–	–

o"kZ 2014&15 mi f'k{kk vf/kdkjh dk;kZy; /kkjpwyk¼05½

Lohd`r ctV dk lkis{k O;; dk fooj.k

en dk uke ,oa dksM	vk;kstukRrj ¼uku&lykuk½	
	Lohd`r	O;;
01–वेतन	536000.00	447878.00
03–महंगाई	536000.00	456122.00
04–यात्रा भत्ता	–	–
05–स्था0या0भ0	–	–
06–अन्य भत्ते	55000.00	68830.00
07–मानदेय	–	–
08–कार्या0व्यय	10000.00	10000.00
09–विद्युत	–	–
10–जलकर	–	–
11–लेखन	10000.00	8000.00
12–कार्या0फर्नीचर	10000.00	–
13–टेलीफोन	3000.00	–
15–गाड़ी अनु0	–	–
16–व्यावसायिक	–	–
17–किराया उप शुल्क	–	–
26–साज–सज्जा	10000.00	–
27–चिकित्सा व्यय पूर्ति	–	–
29–अनुरक्षण	–	–
41–भोजन व्यय	–	–
42–अन्य व्यय	–	–
46–कम्प्यू0 हार्ड	45000.00	–
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	7000.00	–

eluvy&12

vunku@jkT; lgk;rk dk;Øeka d fØ;kUo;u dh jhfr

1. कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

- कार्यक्रम / योजना का नाम – विभिन्न छात्रवृत्तियॉ।
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय–सीमा– कक्षा 9, 10, 11, 12, के 2 वर्ष तथा 6, 7, 8, में 3 वर्षों कक्षा में प्रगति संतोषजनक होने पर।
- कार्यक्रम का उद्देश्य– जनपद के प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन करना तथा उनका सर्वांगीण विकास, क्षेत्रीय असमानता दूर करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, रोजगार पर्यावरण आदि के प्रति जागरूक करना।
- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य(विगत वर्ष में)– सत् प्रतिशत्।
- लाभार्थी की पात्रता – मैरिट के आधार पर।
- अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया– आवेदन सम्बन्धित संस्थापक को प्रस्तुत करना होगा।
- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड– मैरिट के आधार पर।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण/अनुदान की राशि–×
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– पासबुक के द्वारा प्राधानाचार्य के माध्यम से।
- आवेदन करने के लिए कहॉ/किससे सम्पर्क करे– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से।
- आवेदन शुल्क– कोई शुल्क नहीं।
- अन्य शुल्क– कोई शुल्क नहीं।
- आवेदन का प्रारूप – सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष के कार्यालय में उपलब्ध होगा।
- संलग्नकों की सूची–
- संलग्नकों का प्रारुप–
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें– विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक/माध्यमिक), मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़।

उक्त के अतिरिक्त माननीय महामहिम राज्यपाल जी की पहल पर पित्विहीन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत ही छात्रवृत्तियॉ 500.00 रू. प्रतिमाह की दर से प्रति छात्र को भुगतान की जाती है। अनुदान शासन स्तर से ही आवंटित किया जता है।

Nk=ofRr Lohd`r djus dh izfØ;k& प्रधानाचार्य द्वारा पात्रता के आधार पर संस्तुति विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकुत कर जनपद स्तर से राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित विद्यालय को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि प्रेषित की जाती है। और प्रधानाचार्य सभी छात्र/छात्रओं से पोसट ऑफिस अथवा बैंकों में संबंधित के एकाउण्ट खुलवाकर एकाउण्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

सभी प्रकार की छात्रवृत्तियॉ प्रत्येक वर्ष हेतु स्वीकृत की जाती है और उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही अगले वर्ष हेतु नवीनीकरण की जाती है।

vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr ,oa fiNMk oxZ gsrq Nk=ofRr& समाज कल्याण विभाग द्वारा अध्ययरत अनुसूचित जाति, अनुसूचति जन जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को अलग से छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाती है। जिस हेतु अनुदान समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विद्यालयों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर सभी को छात्रवृत्तियॉ स्वीकृत होती है। जिसे संस्थाध्यक्ष एवं सम्बन्घित छात्र/छात्राओं को खातों के माध्यम से ही भुगतान किया जाता है।

fodkl[k.M ds 'kkldh; fo|ky;ksa gsrq Lohd`r dEI;wVjksa dh la[;k&

क्र. स.	जनपद का नाम	कम्प्यूटरों की संख्या	यू0पी0एस0 की संख्या	प्रिन्टर्स की संख्या	स्पीकर सैट	मोडेम
01	पिथौरागढ़	112	112	20	112	3

euvy&13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां

कार्यक्रम का नाम – सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू करना।
प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) –
उद्देश्य – सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम प्रदेश में लागू करना।
लक्ष्य (विगत वर्ष में)– कक्षा 9 एवं 10
पात्रता– समस्त माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय
पात्रता का आधार– राजकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त विद्यालय
पूर्वापेक्षायें –
प्राप्त करने की प्रक्रिया –
रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय–सीमा–
आवेदन शुल्क –
आवेदन पत्र का प्रारुप –
संलग्नकों की सूची–
संलग्नकों का प्रारुप –
प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारुप पर) –

उत्तरांचल में शैक्षिक सत्र जुलाई 2005 से कक्षा–9 के लिए विषय संयोजन

एक– भाषा– (1) हिन्दी–ए कोर्स
दो – भाषा– (2) अंग्रेजी– बी कोर्स
अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा
आधुनिक भारतीय / विदेशी / शास्त्रीय
भाषाओं में से एक।

• कक्षा 10 की परीक्षा का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अन्य वाह्य मूल्यांकन के रुप में अंक एवं ग्रेड पद्धति पर किया जायेगा।

तीन– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
चार– सामाजिक विज्ञान।
पांच– गणित अथवा गृहविज्ञान
(केवल बालिकाओं के लिए)

• कक्षा–9 की परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा स्वयं किया जायेग।

छः –कार्यानुभव / व्यावसायिक शिक्षा / उद्यमिता विकास
सात– कला शिक्षा

• विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन केवल ग्रेड पद्धति अपनाई जायेगी।

आठ– स्वास्थ्य शिक्षा

नौ– अतिरिक्त विषय
ऐच्छिक विषय के रुप में विद्यार्थी
कोई एक विषय चुन सकता है
• संगीत • पेंटिग • वाणिज्य
• गृहविज्ञान • प्रारम्भिक सूचना प्रौद्योगिकी
• तुतीय भाषा (उक्त में वर्णित भाषाओं में ली गई दो भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषा)

• इस विषय का मूल्यांकन अंक एवं ग्रेड पद्धति पर किया जायेगा। इसमे थ्यौरी का मूल्यांकन बोर्ड स्तर पर तथा प्रेक्टिकल का मूल्यांकन विद्यालयी स्तर पर किया जायेगा।

• अतिरिक्त विषय के शिक्षण की व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं के स्तर से ही करनी होगी।

शासनादेश संख्याः 365 /**XXIV-2**/2005 दिनांक 27 अक्टूबर 2005 का संलग्नक

(1) कक्षा 6,7,8, की पाठ्पुस्तक जिनका कापीराइट प्राप्त किया जाना है :–

क्रम संख्या	कोड नम्बर	कक्षा	पुस्तक का नाम
1	2	3	4
1	0637	VI	गणित (एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम)
2	0742	VII	गणित (एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम)
3	0839	VIII	गणित (एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम)

शासनादेश संख्याः 378/**XXIV-3**/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 का संलग्नक।

(2)– कक्षा–9 की पाठ्य–पुस्तकें जिनका कापीराइट प्राप्त किया जाना है :–

क्रम संख्या	कोड नम्बर	कक्षा	पुस्तक का नाम
1	2	3	4
1	0930	कक्षा–9	साहित्य मंजरी भाग–1
2 3	0931 0936	कक्षा–9 कक्षा–9	मधु संचय भाग–1 स्टेप्स टु इंगलिश रीडर (ब कोर्स)।
4	0937	कक्षा–9	मोजेएक ऑफ लाइफ (इंगलिश सप्लीमेंटरी रीडर 'ब' कोर्स)
5	0938	कक्षा–9	अभ्यास पुस्तिका स्टैप्स टु इंगलिश।
6 7	0943 0946	कक्षा–9 कक्षा–9	गणित भाग–1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाग–1
8	0939	कक्षा–9	प्रज्ञा–1 संस्कृत ।
9	0932	कक्षा–9 व 10	शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिन्दी।
10			सामाजिक विज्ञान भाग–1 (इतिहास)
11			सामाजिक विज्ञान भाग–2 (भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र)
12			आपदा प्रबन्धन।
13			कार्यानुभव/व्यावसायिक शिक्षा/उद्यमिता विकास
14			कला शिक्षा
15			स्वास्थ्य शिक्षा
16			उर्दू भाग–1

(3) कक्षा–10 की पाठ्य पुस्तकों जिनका कापीराइट प्राप्त किया जाना है :–

क्रम संख्या	कोड नम्बर	कक्षा	पुस्तक का नाम
1	2	3	4
1	1033	कक्षा–10	साहित्य मंजरी भाग–2
2	1034	कक्षा–10	मधु संचय भाग–2
3 4	1039 1040	कक्षा–10 कक्षा–10	स्टेप्स टु इंगलिश रीडर (ब कोर्स) लाइफ इज ए ग्लोरियस गिफ्ट (इंगलिश सप्लमेन्टरी रीडर 'ब' कोर्स)
5	1041	कक्षा–10	अभ्यास पुस्तिका स्टेप्स टु इंगलिश।
6	1046	कक्षा–10	गणित भाग–2
7 8	1048 1042	कक्षा–10 कक्षा–10	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाग–2 प्रज्ञा भाग–2 संस्कृत।
9			समाजिक विज्ञान भाग–1 (इतिहास
10			समाजिक विज्ञान भाग–2 (भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र)
11			आपदा प्रबन्धन।
12			कार्यानुभव/व्यावसायिक शिक्षा/उद्यमिता विकास
13			कला शिक्षा
14			स्वास्थ्य शिक्षा
15			उर्दू भाग–2

(4) कक्षा–9 एवं 10 की अतिरिक्त विषय की पाठ्य–पुस्तकें जिनका कापीराइट प्राप्त किया जना है :–

क्रम संख्या	कोड नम्बर	कक्षा	पुस्तक का नाम
1	2	3	4
1		कक्षा–9	गृह विज्ञान
2		कक्षा–9	संगीत
3		कक्षा–9	पेन्टिंग
4		कक्षा–9	वाणिज्य
5		कक्षा–9	प्रारम्भिक सूचना एवं प्रोद्योगिकी।
6		कक्षा–10	गृहविज्ञान
7		कक्षा–10	संगीत
8		कक्षा–10	पेन्टिंग
9		कक्षा–10	वाणिज्य

euvy&14

dR;ks ds fuoZgu ds fy;s LFkkfir ekud @ fu;e&

01. लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/ नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलबध करायें–

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/ नियम–

उत्तराखण्ड गठन के पूर्व विभिन्न कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रख्यापित मानकों एवं नियमों का उल्लेख तीन कोटियों, अभिलेखों में निरूपित है।

- शिक्षा संहिता।
- विभिन्न अधिनियम।
- विभिन्न सेवा नियमावली।

शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी कर अपने विभिन्न राजाज्ञाओं द्वारा आवश्यकतानुसार परिमार्जन संशोधन/ परिवर्तनन किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात विभागीय ढांचा अधिकारियों के पद कार्य व दायित्व की तदनुसार प्राख्यापित किया गया है।

चूकि प्रस्तावित व्यवस्था अभी प्रक्रिया के अधीन है। अतः वर्तमान में पूर्व में प्रख्यापित मानक व नियम उत्तराखण्ड के लिये मापदण्ड है।

अतः कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/ नियमों को जानने के लिए निम्नलिखित पुस्तकें पठनीय होगी।

- शिक्षा संहिता।
- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम– 2006
- उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य एल0टी0 शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली – 2006
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अध्यादेश।
- उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों एवं आश्रितों की भर्ती नियम।
- उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवाकरण) अधिनियम– 1974
- वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2।
- सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली।
-

इस प्रकार उक्तवत् अधिनियम/ नियमावलियों में अधिकारी/ कर्मचारी के मृत्यों के निर्वहन हेतु मानक निर्धारित किये गये है।

eluvy l[;k&15

byDVkfud :i e miyC/k lpuk;

fo|ky;h f k{kk foHkkx }kjk tu lk/kkj.k dk foHkkx d fo'k; e lkekU; tkudkjh ,o fofHkUu fØ;kdykik e tkudkjh inku dju d fy, **electronic format** byDVkfud QkeV e **www.gov.nic.in** / **School education** ij lkexh miyC/k djk;h x;h gA bld vfrfjDr mÙkjkpy ljdkj dh ikfVy **ua.uttara.in** ij Hkh foHkkx dh lpuk miyC/k djk;h x;h gA
foHkkx dh colkbV ij fuEu fcUnvk ij lpuk,l iLrr dh x;h g&

1. foHkkx dh lkekU; tkudkjh
2. fo|ky;k dh l[;k]v/;kid l[;k]Nk= l[;k
3. foHkkx e lpkfyr dk;Øek dh lpuk
4. lpuk d vf/kdkj dk fooj.k
5. okf'kd ctV
6. ,l0lh0bZ0vkj0Vh ,o ijh{kk ifj'kn d fo'k; e tkudkjh
7. jktdh; gkbLdy ,o b.Vj dkytk dh lph

bld vfrfjDr mÙkjkpy e fuEufyf[kr 9 tuink e fLFkr Mk;V l ¼ftyk f k{kk ,o if k{k.k lLFkku½ dh colkbV Hkh **www.gov.nic.in /School education/DIET** ij inf kr dh x;h gA
mDr 9 tuink dh lph fuEuor g&

1 ngjknu

2 fVgjh

3 pMhxko ikMh
4 cMdkV mŸkjdk kh

5 xkpj pekyh

6 :Mdh gfj}kj

7 Hkherky uuhrky

8 vYekMk

9 MhMhgkV]fiFkkjkx<A

ukV& mi;Dr lkbV e nh x;h lpuk; Internet के माध्यम से Mkmu ykM Hkh dh tk ldrh gA

ifjf'k"V l[;k&16

lapuk izkIr djus ds fy, ukxfjdksa dks miyC/k lqfo/kkvksa dk fooj.k

fof'k"V lapukvksa ds vfrfjDr foHkkxh; lkekU; tkudkjh **e-mode** esa Hkh miyC/k gSA foHkkx ds fo'k; esa fuEufyf[kr csolkbV~l ij lkekU; lwpuk;sa izkIr dh tk ldrh gS%&

1. www.gov.ua.in /school education

2. ua.uttara.in

3. www.gov.ua.nic.in/school education/diet

ifro'kZ foHkkxh; ixfr ds ek/;e ls dk;Øe dh ixfr Hkh tu lkekU; dks miyC/k djkbZ tkrh gSA

iqLrdky; ds }kjk& tuin esa ftyk iqLrdky; fLFkfr gS ftlds ds ek/;e ls lwpuk tulkekU; rd igqapus dh O;oLFkk dh x;h gSA
lekpkj i=ksa ds }kjk& le; le; ij lekpkj i=ksa ds ek/;e ls
ykssd fgr esa fofHkUu lwpukvksa dks tulkekU; rd igqapkus dk iz;kl fd;k tkrk gSA ukVd@uqDdM+& fo|ky;ksa esa fofHkUu izfr;ksfxrkvksa ds }kjk lkekftd psruk ,oa foHkkxh; iz;klksa dks ukVd ds ek/;e ls izpkfjr fd;k tkrk gSA
iEi ysV~l ds }kjk& fofHkUu lkekftd@lkaLd`frd R;ksgkjksa ij
iEi ysV~l vkfn ds ek/;e ls f'k{kk ds fofHkUu dk;Øeksa dks tulkekU; rd igqapkus dk dk;Z fd;k tkrk gSA
lwpuk iVy ds }kjk& lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds vUrxZr ,oa vU; tuksi;ksxh lwpukvksa dks izdVu funs'kky; ,oa v/khuLFk dk;kZy;ksa ,oa fo|ky;ksa ds Lrj ij lwpuk iVyksa ds }kjk ;FkklEHko vf/kdre lhek rd v|ru iznf'kZr fd;s tkus dk iz;kl fd;k tkrk gSA
vfHkys[kksa ds voyksdu lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds
}kjk& micU/kksa ds v/khu vuqjks/k djus okfNr
vfHkys[kksa @ i=kofy;ksa dk voyksdu dj ldrk gSA
nLrkostksa dh izfr izkIr lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds
djus dh O;oLFkk }kjk& micU/kksa ds v/khu vuqjks/k djus okfNr

vfHkys[kk @ i=kofy;k @ nLrkotk d ifr fu/kkfjr “kqYd dk Hkqxrku dj
ikIr dj ldrk gA
miyC/k foHkkxh; eu vYI lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 4
}kjk& d vUrxr r ;kj fd; x; 17 fcUnqvk ij

miyC/k euvYI d fu% kYd voykdu }kjk ,I fdlh Hkh ykd ikf/kdkjh d
dk;ky; e tgk mDr 17 euvYI dh ifr miyC/k gk dj ldrk gA
ykd ikf/kdkjh lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 4
¼fo|ky;h f k{kk foHkkx½ d vUrxr r ;kj fd; x; euvy l[;k 15
dh colkbV }kjk& e foHkkx dh ,o lEcfU/kr colkbV dk fooj.k miyC/k
djk;k x;k gA
vU; ipkj ilkj d fo|ky;h f k{kk foHkkx }kjk tufgr] Nk=&
lk/ku }kjk& Nk=kvk ,o vfHkkokodk vkfn d fgr e le;
le; ij iI fjyht]foKkiu]foKfIr;k] okf’kd vk[;k;]QkYMlI
]gLrifLrdk;] ixfr ifronu] kf{kd Mk;jh bR;kfn }kjk miyC/k djk;k
tkuk ;Fkk lEHko lfuf pr fd;k tkrk gA

d`i;k ykd ikf/kdj.k esa dk;Zjr ykd lwpuk vf/kdkfj;ksa] rFkk foHkkxh; vihyh; vf/kdkfj;ksa
ds lEcU/k esa fuEu izk:i esa lwpuk izLrqr djsaA

ykd izkf/kdkj.k dk uke& dk;kZy; [k.M f'k{kk vf/kdkjh /kkjpwyk fiFkkSjkx<+

ykd lwpuk vf/kdkjh&

Ø- la-	uke	in uke	,l-Vh- Mh- dksM	nwjHkk"k	QSDl	QSD l	bZ& esy	irk
1	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 धारचूला	0596722	2223				ग्रा0 बगीचा तह0 धारचूला
2	श्रीमती देवकी बोरा	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0बा0इ0का0 धारचूला	0596722	2881				ग्रा0 धारचूला देहात तह0 धारचूला
3	सुश्री हंसा थलाल	प्रभारी प्रधानाचार्या रा0इ0का0 बरम						ग्रा0 बरम तह0 धारचूला
4	श्री बद्री प्रसाद टम्टा	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 जौलजीबी	0596722	3745				ग्रा0 जौलजीबी तह0 धारचूला
5	श्री हरीश राम	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 बलुवाकोट	0596722	6522				ग्रा0 बलुवाकोट तह0 धारचूला
6	श्री लालमणि जोशी	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 पंयापौड़ी						ग्रा0 पंयापौड़ी तह0 धारचूला
7	श्री शोणित वर्मा	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कालिका						ग्रा0 कालिका तह0 धारचूला
8	श्री भूप सिंह धामी	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 रांथी						ग्रा0 रांथी तह0 धारचूला
9	श्री आनन्द पाल	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 जुम्मा						ग्रा0 जुम्मा तह0 धारचूला
10	श्री ज्ञान सिंह बोरा	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खेला						ग्रा0 खेला तह0 धारचूला
11	श्री ललित मोहन धामी	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खेत						ग्रा0 खेत तह0 धारचूला
12	श्री राम सिंह ऐरी	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 खुमती						ग्रा0 खुमती तह0 धारचूला
13	श्री संजय	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0						ग्रा0 पांगू

	कुमार	पांगू						तह0 धारचूला
14	सुश्री गोविन्दी	प्रभारी प्रधानाचार्य रा0इ0का0 माकम कैलाश						ग्रा0 माकम कैलाश तह0 धारचूला
15	श्री हरिशंकर आर्य	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 जाराजिबली						ग्रा0 जारा जिबली तह0 धारचूला
16	श्री खान मोहम्मद सलीम वाजिद	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 लुमती						ग्रा0 लुमती तह0 धारचूला
17	श्री अशोक कुमार शुक्ला	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 जयकोट						ग्रा0 जयकोट तह0 धारचूला
18	श्री राजेन्द्र प्रसाद	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 पांगला						ग्रा0 पांगला तह0 धारचूला
19	श्री माधवानन्द जोशी	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 स्यांकुरी						ग्रा0 स्यांकुरी तह0 धारचूला
20	श्री रतन सिंह होतियाल	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 तीजम						ग्रा0 तीजम तह0 धारचूला
21	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 कनार						ग्रा0 कनार तह0 धारचूला
22	श्री राजेश चन्द्र पन्त	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 तोली						ग्रा0 तोली तह0 धारचूला
23	श्री महेश राम लोहिया	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 मेतली						ग्रा0 मेतली तह0 धारचूला
24	श्री राजेन्द्र सिंह	प्रभारी प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 गलाती						ग्रा0 गलाती तह0 धारचूला

ykd lpuk vf/kdkjh@ foHkkxh; vihyh; vf/kdkjh& ¼fodkl [k.M Lrj½

Ø- l-	uke	in uke	, l-Vh- Mh- dkM	njHkk"k	QDl	QDl	b& ey	irk
	श्रीमती सरोजनी ह्याकी	खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला(प्रभारी)	05967	220434			beodhl@gmail.com	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारचूला

vihyh; ¼foHkkxh;½ vf/kdkjh& ¼tuin Lrj½

Ø- l-	uke	in uke	, l-Vh- Mh- dkM	njHkk"k	QDl	QDl	b& ey	irk
	श्री अशोक कुमार जुकरिया	मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़	05964	225227		225227	deopit-edu-uk@nic.in	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़

elquvy l[;k& 17

vU; mi;ksxh tkudkfj;k

ykd ikf/kdj.k ls tuekul }kjk lkekU;r% iNs tkus okys i'u o mudk mŸkj

Ø0 l	i'u	mRrj
1	कितने स्तर के विद्यालय हैं	विकासखण्ड में प्राथमिक,उच्च प्राथमिक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (राजकीय, मान्यता प्राप्त, आवासीय एवं केन्द्रीय)
2	विद्यालयों की संख्या (श्रेणीवार)कितनी है	प्राथमिक विद्यालय (राजकीय व मान्यता प्राप्त) 204, उच्च प्राथमिक (राज0 व मान्यता प्राप्त) 39, हाईस्कूल(राज0 व मान्यता प्राप्त) 13, इण्टर कालेज(राज0 व मान्यता प्राप्त) 15 एवं एक केन्द्रीय विद्यालय,
3	संस्थागत छात्रों की संख्या (श्रेणीवार) लगभग क्या है।	प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक (6–14वय वर्ग) में 10232, एवं हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट (कक्षा 9से12) 5059 (लगभग) छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
4	अध्यापकों कितने पद सृजित है।	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में अध्यापकों के लगभग 476 पद सृजित हैं तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयो में प्रधानाचार्य सहित 379 पद सृजित हैं।
5	समग्र रुप से जनपद में विद्यालय, अध्यापक व छात्रों की संख्या क्या है।	विकासखण्ड में समग्र रुप से 242 विद्यालय, लगभग 205 अध्यापक एवं 15000(मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित) छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
6	परिषदीय परीक्षा सम्मिलित छात्र अनुमानित संख्या	परिषदीय परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग 2200
7	विकासखण्ड वार विद्यालयों की सूची	संलग्नक
08	क्या सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्त होने पर देयकों का समय से भुगतान की व्यवस्था है, क्या इसके लिए विभाग द्वारा इस दिशा में कोई अनुश्रवण प्रकोष्ठ/शिकायत प्रकोष्ठ/शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ आदि का गठन किया है।	प्रत्येक पटल से संबंधित समस्या का निस्तारण सक्षम अधिकारी के स्तर से किया/कराया जाता है, शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना सहित शिकायत पेटिका की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
	क्या विद्यालय में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को भारत सरकार/राज्य सरकार से सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है\	कक्षा 1 से 8(6–18वय वर्ग) तक के बच्चों को रु0 1200 प्रतिवर्ष जनपद को उसकी शिक्षण व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, उसे निःशुल्क सहायता/उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं घर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। माध्यमिक स्तर पर IEDC मानव संशाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों को लाभ प्राप्त कराने हेतु IEDC सेल की स्थापना

		राज्य स्तर पर की गई है।
10	क्या शिक्षकों अधिकारियों /कर्मियों को ऐसे अधिनियमों /आयोगों की जानकारी है, जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में बनाये गये हैं, और वे प्रायः इस बारे में प्रश्न पूछते हैं–जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/ महिला आयोग/विकलांगता का अधिनियम 1995, बाल अधिकार आदि	समय–समय पर सभी अधिनियमों की जानकारी देने हेतु शिक्षको/ अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण– संवेदीकरण कराया जाता है।
11	विद्यालयी शिक्षा के अर्न्तगत कितने पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, कितने छात्र/छात्रायें इनका उपयोग करते है? विद्यालयों पुस्तकालयाध्यक्ष के कितने पद है।।?	राज्य द्वारा उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक पारित किया गया है। जिसके अनुसार विभाग में कार्यान्वयन होता है।
12	क्या भवन निर्माण, पुराने भवनों का निर्माण आदि हेतु अवमुक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में अनुश्रवण की कोई व्यवस्था है\	ऐसे कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु जिस स्तर के अधिकारी के निर्वतन पर रखी गई है उन्हीं के द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है, इस हेतु तकनीकि सेल की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।
13	क्या इण्टर कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं हेतु विषय संयोजन संबंधी कोई जानकारी /परामर्श दिया जाता है, जो विभिन्न सेवा क्षेत्र चुनने में छात्रों के लिए सहायक होंगे। क्या विद्यालयों को भी इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि कुछ विषय संयोजन निर्धारित किये जायें।	परामर्श दिया जाना प्रस्तावित है, विद्यालय के प्रधानाचार्य भी विषय संयोजन तथा संबंधित सेवा क्षेत्रों की जानकारी दे सकेंगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है।
14	राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने के संबंध में छात्र/छात्राओं को इनकी पृष्ठभूमि की जानकारी दिये जाने के निर्देश कभी निदेशालय द्वारा विद्यालयों को दिये जाते है\	इस प्रकार की जानकारी दी जाती है।
15	पदोन्नति हेतु बरिष्ठता निर्धारित करने वाले प्रवर सहायक आदि को सेवा नियमावली, रोस्टर आदि की पूर्ण जानकारी है\	बरिष्ठता के निर्धारण की प्रक्रिया ज्येष्ठता नियमावली के अनुवार की जाती है।
16	क्या राज्य स्तर पर विभिन्न क्रिया–कलापों पर जन सहभागिता आमंत्रित की जाती है? क्या राज्य स्तरीय संदर्भ समूह का गठन किया गया है।?	प्रत्येक विद्यालय स्तर पर VEC, SMC, PTA आदि में जन सहभागिता आमंत्रित की जाती है।

lpuk ikklr djus dk lEcU/k esa&

tu&lkekU; rd lpukvksa ,oa vfHkys[kksa dh igqp

सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 (परिशिष्ट–I)	प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धनके लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुॅच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्‌देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनॉक 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व मे है।
लोक सूचना अधिकारी सहाक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट–II)	विभाग की समस्त प्रशासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा 5 (1), की धारा 5 (2) एवं धारा 19 (1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।
सुचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण	नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वाकित शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।
शासनादेश सं0 146 / सू0/ XXXI93)G-/ 2006 दिनॉक 22 मार्च 2006 (परिशिष्ट–III)	अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र अवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जोयगा। अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जोयगा कि उसे अनुराध को नामंजूर कर दिया है।
सुचना का अधिकारी (फीस एवं लागत का विनियमन)	अनिधनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के

नियम, 2005

अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियॉ अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

अधिसूचना
ए0–XXIV)/205-9 (31)
दिनॉक 13 अक्टूबर 2005 परिशिष्ट–IV)
एवं
संशोधित अधिसूचना सं0' 165/मू/XXXI(13)G-2 (2) / 2006 दिनॉक 31 मार्च 2006 परिशिष्ट–V)

यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्रापत होने से पांच दिनों के भीतर ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नहीं, लिखित रूप मं या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

प्रथम अपील धारा 19 (1)	अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अंदर किया जायेगा।
सूचना का स्वैच्छिक प्रकटन	अधिनियम की धारा (1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयाँ जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनाये संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी0डी0 तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।
(उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं065/उ0सू0आ0/मू0सू0आ0/2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005) (परिशिष्ट–**VI**)	उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड़) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा। सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।
सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना	जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पद नाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुये सूचना पट्ट लगाये जायेंगे।
लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही	आयोग में धारा 18 (1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।
द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 अधिसूचना सं0 305/**XXII**/2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (परिशिष्ट–**VII**)	अधिनियम की धारा 19(3 में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा।

भारत का राजपत्र

असाधारण

EXTRA ORDINARY

भाग 2 अनुभाग 1क

PART II Section IA

प्राधिकारण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004 / 21 आश्विन, 1927 (शक)

दि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स (सप्लीमेंटरी प्रोविजन्स) रिपील ऐक्ट, 2004, दि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड दि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2005 और (3) दि राइट टू इनफार्मेशन ऐक्ट, 2005 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम 1963(1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :–

MINSTRY OF LAW AND JUSTIC

(LECISLATIVI DEPARTMENT)

New Delhi, October 13,2005/Asvina 21,1927 (Saka)

The traslation in Hindi of the Following namely:-(1) The Special Tribunals (Supplementary prvisions) Repeal Act, 2004; (2) The Government of union Territories and the Govermment of National Capital Territory of Delhi(Amendment) Act, 2005; and (3) The Right to Informatin Act, 2005 are hereby published under the authority of the president and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under claus(a) of sub-section (1) of the Official Languages Act, 1969(19 of 1963).

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकाररियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है।

और लोकतंत्र शिक्षिक नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की उपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और संस्कारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लौक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारेां के दक्ष प्रचालन, समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है।

और लोकतन्त्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाऐ रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है।

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए,जो उसे पाने के इच्छुक है, उपबंध किया जाय।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हेा :–

अध्याय

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा, 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इसे अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो–

(i) केन्द्रीय सरकार या संध राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन ,
नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्दीय सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन गठित पदाभिहित केन्द्रीय सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है।

(ड़) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है–

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संध राज्य की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति।

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ।

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ।

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल।

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

(च) ''सूचना '' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने ,माडल, आंकडेा संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुॅच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमें द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ज) '' लोक प्राधिकारी '' से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन।

(ख) संसंद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा।

(ग) राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई अन्य विधि, द्वारा।

(ध) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापति या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्दीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियेां द्वारा वित्तपोषित है।

(ii) कोई ऐसी गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल।

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइकोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति।

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और।

(ध) किसी कम्पूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य समाग्री।

(झ) '' सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का , जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों, का निरीक्षण।

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण।

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(iv) डिस्केट,पलापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को , जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और राज्य सूचना आयुक्त से धारा 15 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है।

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(ढ) ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकावद्ध ऐसी रीति और रूप रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुॅच को सुकर बनाया जा सकें।

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्राणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों।

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये, नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां , जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हेा।

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणेां पर रिपोर्टो की विशिष्टयां उपदर्शिका करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।

(xiv) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय।

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास हेागा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हेा।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण– उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से
सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उदघोषणाओं, मीडिया प्रसारणों इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से,
जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी
देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित, करेगा। जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर

पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सचूना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा।

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जायगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

(5) कोई अधिकार, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई हैं, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंधन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाय।

6 (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाय।

(क) संबधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी।

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को उसके मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा।

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, यहां यथास्थिति केन्दीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने आवेदन से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए के लिए आवश्वयक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या।

(ii) जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से सम्बन्धित है।

वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरिम करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा।

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवदेन का अंतरण यथासाध्य शीध्रता से किया जायगा। किंतु किसी भी दशा में आवदेन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनें के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7 (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीध्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जा` विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुराधे को अस्वीकार करेगा।

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां यह अनुराधे प्राप्त होने के अडतालीस धंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ठ अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफलत रहता है तो, यथास्थिति , केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सचूना उपलब्ध कराने का विनिश्चत किया जाता है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को–

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि को संगणना करने के प्रयोजन करने के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय–सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय करने का पनुर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदन उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाय।

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चत करने से पूर्व यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां किसी अनुरोध की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है , वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुराधे करने वाले व्यक्ति को,–

(i) ऐसी अस्वीकृत के लिए कारण।

(ii) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृत के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां

संसूचित करेगा। 2

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गयी है जब तक कि वह लोक प्राधिकारी क स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8 (1) इस अधिनियम में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उदीपन होता हो

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्ता रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ।
(ग) सूचना , जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मण्डल के विषेषाधिकार का भंग कारित होगा।
(घ) सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।
(ड़) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।
(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ।
(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के श्रोतों की पहचान करेगा।
(झ) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।
परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह समाग्री जिसके आधार पर विनिश्चत किए गए थे। विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगें।
परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटें के अंतर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जांएगे।
(ञ) मंत्रिमण्डल के सूचना जो व्यक्तिगत सूचना के संबन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा। जब तक कि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकरी का यह समाधान नहीं हो जाता है। कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।
परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति संसद् या किसी विधान–मण्डल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकता है।
(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।
(3)उपधारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ग) और खण्ड(झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी धटना, वृत्तांत या विषय से संबधित कोई सूचना, जो उसे तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है बीस वर्ष पूर्व धटित हुई थी या हुआ था उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायगी।
परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपवाधित प्रायिक अपीली के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतरिम हेागा।
(9) धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्धंधन अन्तर्वलित करेगा।
(10) (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कियाा जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध मं है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि–

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है
(ख) विनिश्चय के लिए कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है।
(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम
(ध) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवदेक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है । और।
(ड़) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के सम्बन्ध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप जिसके अन्तर्गत यथास्थिति धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां समय–सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।
(11) (1) जहां यथास्थिति किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है , और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवदेन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवदेन को ध्यान में रखा जाएगा।
परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा।
(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावदेन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।
अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12 (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।
(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा।
(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त और।
(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं।
(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जायगीं।

(i) प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।
(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता और।
(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संध मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निवारण के लिए यह धोषित किया जाता है कि जहा लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बाते कर सकेगा जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वंतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज सेवा, प्रबंध पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संध राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल के संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयेाग,केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13 (1) सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्वियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैसंठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और ऐसे सचूना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्या सूचना आयुक्त के यप में नियुक्ति किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसुची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उसे पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है।

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी जो निर्वाचन आयुक्त की है।

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सचूना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन मेंसे, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संशशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय

सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संवंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायगी।

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नही किय जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों का उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

14 (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त का किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगां। जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या।

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है। या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रुप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है ता वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 4
राज्य सूचना आयोग

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,–

¼i½ मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

¼ii½ विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

¼iii½ मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रुप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बडे समूह के नेते को विपक्षी दल का नेता समझाा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और सह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधी किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रुप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नही करेगा।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रुप में पद धारण नही करेगा।

(2) परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस तारीख से, जिसको वइ अपना पद ग्रण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी वूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रुप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य, सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररुप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जे किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्नद्व प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंद्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राजय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणााधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के प्श्चात् उनके लिए अलाभकारी रुप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मयानी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राजपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के प्श्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी आत के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त–

(क) दियालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रुप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18. (1) इस अधिनियम के अपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति,, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे –

(क) जो, यथास्थिति, किसी कंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने कि लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है ;

(ड) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भम्र में डालने वाली या मिथया सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या इन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में। (2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते सकय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिक्षित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों का समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साख्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उव आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव मे प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका सह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का सुक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रिय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालिस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रिय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।
(8) आपने विनिश्चय में, यथासिथति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है–
(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–
(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररुप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;
(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;
(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;
(iv) अभिलोखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपना पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;
(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;
(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्त्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;
(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;
(घ) आवेदन को नामंजूर करना ;
(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्त्ता और लोक प्राध्किारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।
(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।
20.1 (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नही होगी।
परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त रुप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।
(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध के इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह? यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध एसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय 6
प्रकीर्ण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्ययित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

23. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेशा को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रुप में के सिवाए किसी रुप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी ;

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों के संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ;
परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।
(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;
परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ;
परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के हेते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्रधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से एंबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट एंबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा–
(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी ऐ किए गए अनुरोधों की संख्या ;
(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था ;
(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;
(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;
(ड़) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम ;
(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यन्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;
(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या सुंशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।
(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान–मुडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरुप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरुपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय ओ अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक–

(क) जनता की, विशेष रुप से अपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;
(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने कि लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;
(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बाने में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रुप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;
(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वग्र के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।
(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रुप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रुप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।
(3) समुचित सरकार, यदि अपवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–
(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;
(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता ;
(ग) वह रीति और प्रारुप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;
(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ;
(ड) यथास्थिति,केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;
(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बाने में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;
(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध; करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और
(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के एंबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।
(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. (1) समुचित करकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;
(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;
(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा(6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते ;
(ड) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों क विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिक्षित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;
(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;
(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और
(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के समक्ष, जब एह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रुप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा 1 तथापि उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसूची
(धारा 13 (3) और धारा 16 (3) देखिए)
मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, जो.....मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हुँ
के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अंक्षण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियो की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए)
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंसाधन और विश्लेषण खंड।

3. राजस्व आसूचना निदेशालय।

4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो।

5. प्रवर्तन निदेशालय।

6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।

7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।

8. विशेष सीमान्त बल।

9. सीमा सुरक्षा बल।

10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।

11. भारत तिब्बत सीमा बल।

12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

14. असम राइफल्स।

15. विशेष सेवा ब्यूरेा।

16. विशेष शाखा (सी0आई0डी0) अंदमान और निकोबार।

17. अपराध शाखा–सीआईडी–सीबी, दादरा और नागर हवेली।

18. विशेष शाखा, लक्षदीप पुलिस।

वर्ष 2014–15

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण विकासखण्ड धारचूला

(उच्च प्राथमिक स्तर)

क्र.सं.	विद्यालयों की कुल संख्या	कुल छात्र सं0	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त		अन्य
			प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	
1	30	7621	13	91	7	58	6	33	–

(प्राथमिक स्तर)

क्र. सं.	विद्यालयों की कुल संख्या	कुल छात्र सं0	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त		अन्य
			प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	
1	186	3710	42	232	42	200	0	32	98 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

o"kZ 2014&15

jktdh; b.Vj dkyst@jktdh; mPprj ek/;fed fo|ky;ksa esa Lohd`r]
dk;Zjr ,oa fjDr inksa dk fooj.k

fodkl [k.M /kkjpwyk

Ø-l-	inuke	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
01	प्रधानाचार्य	14	1	13
02	प्रधानाध्यापक	15	11	4
03	प्रवक्ता	126	68	58
04	सहायक अध्यापक एल0टी0	226	125	101

fodkl[k.M /kkjpyk e: lpkfyr jktdh; gkbLdy ,o b.VjehfM,V fo|ky;k dh lph&

Ø- l-	fodkl [k.M dk uke	b.Vj dkyst	d0 l	fodkl [k.M dk uke	gkbLdy
1	2	3	4	5	6
01	धारचूला	रा0इ0का0धारचूला	01	धारचूला	रा0उ0मा0वि0जयकोट
02		रा0इ0का0बलुवाकोट	02		रा0उ0मा0वि0लुमती
03		रा0इ0का0पांगू	03		रा0उ0मा0वि0स्यांकुरी
04		रा0इ0का0बरम	04		रा0उ0मा0वि0पांगला
05		रा0इ0का0पैंयापौडी	05		रा0उ0मा0वि0गलाती
06		रा0इ0का0जौलजीवी	06		रा0उ0मा0वि0जाराजीवली
07		रा0इ0का0खेत	07		रा0उ0मा0वि0तीजम
08		रा0इ0का0खेला	08		रा0उ0मा0वि0 तोली
09		रा0इ0का0माकमकैलाश	09		रा0उ0मा0वि0 मेलती
10		रा0इ0का0कालिका	10		रा0उ0मा0वि0 कनार
11		रा0इ0का0रांथी	11		रा0उ0मा0वि0 खेलाधूरा
12		रा0क0इ0का0धारचूला	12		रा0उ0मा0वि0 दर
13		रा0इ0का0जुम्मा	13		रा0उ0मा0वि0 छारछुम
14		रा0इ0का0 खुमती			

कुल राजकीय हाईस्कूल— बालक—13 बालिका—0 13
कुल राजकीय इण्टर कालेज— बालक—13 बालिका—1 14

dk;ky; mi f k{kk vf/kdkjh] ¼ikjfEHkd f k{kk½ /kkjpwyk] tuin fiFkkSjkx<

आदेश / 02 / नियुक्ति / 2014–15 दिनांकः– 01.10.2014

शासनादेश संख्या–149 / XXIV(1) / 2014–28 / 2010 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) / देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2014 के क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,(एस0सी0ई0आर0टी0) उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा राज्य स्तरीय चयन के आधार पर चयनित बी0एड0,टी0ई0टी0–प्रथम योग्यताधारी निम्न अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली,2012(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अधीन चयन समिति की संस्तुति एवं वरियता के आधार पर आवंटित विकासखण्ड के अनुसार मौलिक रिक्त के सापेक्ष दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर विकासखण्ड के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 में अंकित रा0प्रा0वि0(ग्रामीण क्षेत्र) में सहायक अध्यापक, वेतन बैण्ड–9300–34800 ग्रेड पे–4200 / – में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितांत अस्थाई है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एन0सी0टी0ई0) की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर–3 के अधीन नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छः माह का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने की दशा में वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक अभ्यर्थि विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण न कर ले।

प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट विद्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करते समय अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र,टी0ई0टी0– प्रथम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र,आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्रों के दो–दो सेट जिनमे से एक सेट उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा एक सेट विद्यालय में जमा करने होंगे।प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।निर्धारित समयान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।अभ्यर्थि द्वारा इस आशय का शपथ पत्र अपने उप शिक्षा अधिकारी को देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा में योजित नहीं हैं, सेवायोजित होने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। औपवंधिक अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभ्यर्थि को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

क्र0 सं0	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जाति	पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति हेतु आवंटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रूपेश कुमार सिंह	रवीन्द्र सिंह	सामा.	मिशन भटकोट,निकट चर्च,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 दोगड़	धारचूला	
2	विनय कुमार पाण्डेय	मोहन दत्त पाण्डेय	साामा.	न्यू लिंक रोड पदियाधारा,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 पुनलाभटका	धारचूला	
3	निर्मला राय	खीमानन्द ओली	सामा.	चौक बाजार लोहाघाट जनपद चम्पावत	रा0प्रा0वि0 गोगई	धारचूला	
4	स्मिता चौहान	हरिशंकर चौहान	सामा.	मो0 हाथीखाना,थाना सितारगंज,उ0सि0न0	रा0प्रा0वि0 मल्लाखेत	धारचूला	
5	वीरेन्द्र सिंह	नन्दन सिंह	सामा.	ग्राम पोखरी,पो0 बुंगीधार,थलीसैंण,पौड़ी	रा0प्रा0वि0 बाननी	धारचूला	
6	गोपीनाथ	गोकुल नाथ	सामा.	ग्राम मोतीपुर	रा0प्रा0वि0 कुरखेती	धारचूला	

	मण्डल	मण्डल		नं0–1,पो0 दिनेशपुर गदरपुर उ0सिं0न0			
7	सुनीता आर्या	अमर लाल आर्या	अनु0 जा0	नियर सेब ट्रेजरी लोहाघाट चम्पावत	रा0प्रा0वि0 लिणुवा	धारचूला	
8	घनश्याम जोशी	पानदेव	सामा.	राणा भवन विष्णुघाट,जिला हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 तीजम	धारचूला	
9	संगीता बलौदी	योगेश्वर प्रसाद	सामा.	ग्रा0 बालासौड़,पो0 कोटद्वार ,पौड़ी	रा0प्रा0वि0 सेकला	धारचूला	
10	कंचन	उदय राज सिंह	सामा.	पत्नी सौरभ गहलोत,ग्राम गांगुवाला जसपुर उ0सिं0नगर	रा0प्रा0वि0 खेला	धारचूला	
11	अर्चना	कुंवर पाल सिंह	पि0ज ा0	173,कुम्हारों वाली गली सुभाषनगर,रूड़की	रा0प्रा0वि0 धारपांगू	धारचूला	
12	अनिल कुमार पाण्डे	जी0डी0 पाण्डे	सामा.	विकास नगर,बिठोरिया नं0–1,पो0 हरिपुरनायक,हल्द्वानी नैनीताल	रा0प्रा0वि0 उपचिया	धारचूला	
13	रणदेव सिंह पुण्डीर	भंवन सिंह पुण्डीर	सामा.	228–आवास विकास कालोनी,रूड़की	रा0प्रा0वि0 बौंगलिंग	धारचूला	
14	अशोक कुमार ओली	जगदीश चन्द्र ओली	सामा.	जाखनी कैंअ रोड,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 बम्बा	धारचूला	
15	भूपेन्द्र चन्द्र भट्ट	धर्मानन्द भट्ट	सामा.	ऐंचोली,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सन्यालगांव	धारचूला	
16	कृष्ण कुमार	कालू राम	अनु0 जा0	ग्राम नयाबस्ती पो0 कालिका,धारचूला	रा0प्रा0वि0 भटभटा	धारचूला	
17	सुरेन्द्र राम	चन्द्र राम	अनु0 जा0	ग्राम दूतीबगड़,पो0 जौलजीबी पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 मेतली	धारचूला	
18	मनोज कुमार आर्या	रतन राम	अनु0 जा0	ग्राम पो0 मेलडुंगरी,जिला पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 जिप्ती	धारचूला	
19	विजय भाष्कर	टी0आर0 आर्या	अनु0 जा0	ग्राम बटगल,पो0 जाड़ापानी पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 कुरखेती	धारचूला	
20	नेहा कुमारी	श्रीकृष्ण राम	अनु0 जा0	द्वारा कान्ती देवी,जवाहर ज्योति,दमुवाढुंगा,बेरी खत्ता,पे0काठगोदाम, जिला नैनीताल	रा0प्रा0वि0 पांगला	धारचूला	
21	दीप कुमार आर्य	भूपाल राम	अनु0 जा0	ग्राम बना,पो0 त्रिपुरादेवी पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 जुम्मा	धारचूला	
22	किष्ण कुमार विश्वकर्मा	फकीर राम	अनु0 जा0	टनकपुर रोड,अमाऊॅ,खटीमा उ0सि0नगर	रा0प्रा0वि0 खातपोली	धारचूला	
23	महिपाल सिंह	सोम सिंह	अनु0 जा0	ग्रा0 आन्नेकीखुर्द,पे0 औरंगाबाद हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 गसीला	धारचूला	

24	मनोज कुमार आर्य	ठाकुर राम आर्या	अनु0 जा0	ग्राम खेतीगाड़ा पो0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 खिम	धारचूला	
25	शंकर सिंह	प्रेम सिंह	अनु0 जा0	श्री गणेश निवास,नया बाजार बेरीनाग,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सुवा	धारचूला	
26	ललित कुमार	चन्द्र पाल सिंह	अनु0 जा0	36—नालापानी रोड,देहरादून	रा0प्रा0वि0 सोसा	धारचूला	
27	भगवान दास	धर्म सिंह	अनु0 जा0	ग्राम शिवदासपुर,उर्फ तेलीवाला	रा0प्रा0वि0 जयकोट	धारचूला	
28	दीपशिखा आर्या	किशन राम आर्या	अनु0 जा0	गरमपानी,नैनीताल	रा0प्रा0वि0 छोटीपांगला	धारचूला	
29	हेमा आर्या	मोहन राम	अनु0 जा0	द्वारा डी0आर0आर्या ,ओम विहार कालोनी,डहरिया,पो0 मानपुर पश्चिम ,हल्द्वानी नैनीताल	रा0प्रा0वि0 फुल्थी	धारचूला	
30	सीमा रानी वर्मा	जगन्नाथ प्रसाद वर्मा	अनु0 जा0	भैरव मन्दिर कालोनी ,कनखल हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 तांकला	धारचूला	
31	विनोद कुमार	अर्जुन राम	अनु0 जा0	ग्राम पो0 भुरमुनी,पिथौरागढ	रा0प्रा0वि0 कुंचासौं	धारचूला	
32	नरेन्द्र कुमार आगरी	जोगा राम आगरी	अनु0 जा0	ग्राम जमुनानगर,पो0बेरीनाग पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 काफलगैर	धारचूला	
33	किरन	चमन लाल साह	अनु0 जा0	द्वारा महावीर ज्वैलर्स,अंजी रोड नैनबाग,पो0सुमनक्यारी,टि0ग0	रा0प्रा0वि0 रूतिकोट	धारचूला	
34	नीलम आर्या	जगदीश चन्द्र आर्या	अनु0 जा0	द्वारा महेन्द्र टम्टा,विकास भवन भीमताल,नैनीताल	रा0प्रा0वि0 चन्द्रागांव	धारचूला	
35	सुरेश राम	बहादुर राम	अनु0 जा0	ग्राम नाग,पो0 गुप्तड़ी जिला पिथौरागढ़	रा0प्र0वि0 वत्थी	धारचूला	
36	कृष्ण दत्त जोशी	चन्द्र दत्त जोशी	पि0ज ा0	ग्राम पो0 गुईयां,बलुवाकोट,धार चूला	रा0प्रा0वि0 बमज्या	धारचूला	
37	धमेन्द्र कुमार	कृष्ण कुमार	पि0ज ा0	ग्राम माजरा अजीतपुर,पो0 बरा किच्छा,उ0सि0नगर	रा0प्रा0वि0 दायर रांथी	धारचूला	
38	दिनेश सिंह रावत	राजेन्द्र सिंह रावत	पि0ज ा0	ग्राम कोटी,बनाल,पो0 पुजेली,तह0 बड़कोट,उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 मेतली	धारचूला	
39	दिनेश सिंह	सैंसर सिंह	पि0ज ा0	ग्राम सारा पो0 बड़कोट उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 मल्लारौड़ा	धारचूला	
40	समरवीर सिंह	रूकम सिंह	पि0ज ा0	ग्राम रेशगी,पो0 जुणना,डुण्डा उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 सिर्खा	धारचूला	
41	मोहम्मद	मो0 कामिल	पि0ज	ग्राम पो0	रा0प्रा0वि0 रूंग	धारचूला	

	इमरान		T0	खेड़ाजट,जिला हरिद्वार			
42	भवानी प्रसाद बिज्लवाण	हृदय राम	पि0ज T0	ग्राम ईडक,पो0 गडोली,तह0 बड़कोट,उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 जाराजिबली	धारचूला	
43	कविता थापा	डी0वी0थापा	पि0ज T0	ग्रा0 पो0 बिण,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 तांकला	धारचूला	
44	वन्दना रोहेला	धीरज रोहेला	पि0ज T0	ग्राम रसूलपुर,पो0 विकासनगर देहरादून	रा0प्रा0वि0 लुमती	धारचूला	
45	गिरीश गिरी	खड़क गिरी	पि0ज T0	ग्राम पो0 मल्लागर्खा तह0 गंगोलीहाट,पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सिर्दांग	धारचूला	

ह0/–

उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)

विकासखण्ड धारचूला, पिथौरागढ़।

पृष्ठांकन संख्या/बेसिक/ 1989–2003 /नियु0स्थापना/2014–15 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड , देहरादून।
2– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
5– प्राचार्य, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, डीडीहाट, पिथौरागढ़
6– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पिथौरागढ़।
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, पिथौरागढ़।
8– सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
9– सम्बन्धित अभ्यर्थि।
10– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस आशय से प्रेषित कि वे अभ्यर्थि के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके शैक्षिक योग्यता,प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही कार्यभार ग्रहण करायें।
11– अध्यापक की व्यक्तिगत पत्रावली।

उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
विकासखण्ड धारचूला, पिथौरागढ़

dk;kZy; mi f k{kk vf/kdkjh] ¼izkjfEHkd f k{kk½ /kkjpwyk] tuin fiFkkSjkx<

आदेश / 04 / नियुक्ति / 2014–15 दिनांकः– 07.11.2014

शासनादेश संख्या–149 / XXIV(1) / 2014–28 / 2010 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) / देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2014 के क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,(एस0सी0ई0आर0टी0) उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा राज्य स्तरीय चयन के आधार पर चयनित बी0एड0,टी0ई0टी0–प्रथम योग्यताधारी निम्न अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली,2012(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अधीन चयन समिति की संस्तुति एवं वरियता के आधार पर आवंटित विकासखण्ड के अनुसार मौलिक रिक्त के सापेक्ष दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर विकासखण्ड के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 में अंकित रा0प्रा0वि0(ग्रामीण क्षेत्र) में सहायक अध्यापक, वेतन बैण्ड–9300–34800 ग्रेड पे–4200 / – में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितांत अस्थाई है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एन0सी0टी0ई0) की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर–3 के अधीन नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छः माह का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने की दशा में वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक अभ्यर्थि विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण न कर ले।

प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट विद्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करते समय अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र,टी0ई0टी0– प्रथम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र,आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण पत्रों के दो–दो सेट जिनमे से एक सेट उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तथा एक सेट विद्यालय में जमा करने होंगे।प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।निर्धारित समयान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।अभ्यर्थि द्वारा इस आशय का शपथ पत्र अपने उप शिक्षा अधिकारी को देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा में योजित नहीं हैं, सेवायोजित होने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। औपवंधिक अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभ्यर्थि को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

क्र0 सं0	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जाति	पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति हेतु आवंटित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरेश प्रसाद	मोहन राम	अनु0 जाति	द्वारा मोहन राम एस0बी0आई0 खटीमा,टनकपुर रोड खटीमा	रा0प्रा0वि0 नाग	धारचूला	
2	आनन्द राम	धनी राम	अनु0 जाति	ग्राम पो0 पीरूमदारा रामनगर	रा0प्रा0वि0 बोरागांव	धारचूला	
3	महेश राम	मनोहर राम	अनु0	ग्राम विण्डातिवारी	रा0प्रा0व0 कनार	धारचूला	

			जाति	पो0दिगाड़ीचौड़ किमतोली चम्पावत			
4	गंगोत्री	प्रेम राम	अनु0 जाति	ग्रा0 गोठी0 पो0 कालिका धारचूला पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सोबला बाजार	धारचूला	
5	सुलेख चन्द्र	नेरतू राम	अनु0 जाति	ग्रा0 रावली महदूध,पो0 बहादराबाद हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 पस्ती	धारचूला	
6	सुरेश चन्द	भगत चन्द	पि0 जाति	ग्रा0 सुपोखरा,पो0 बीसाबजेड़ तह0जिला पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 दर	धारचूला	
7	आस्था शर्मा	श्रीनिवास शर्मा	सामा0	टाईप–3/4 हाईकोर्ट कालोनी पाइन्स भवानी रोड नैनीताल	रा0प्रा0वि0 पंयापौड़ी	धारचूला	

ह0/–

उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)

विकासखण्ड धारचूला, पिथौरागढ़।

पृष्ठांकन संख्या/बेसिक/ 1989–2003 /नियु0स्थापना/2014–15 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड , देहरादून।
2– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
5– प्राचार्य, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, डीडीहाट, पिथौरागढ़
6– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पिथौरागढ़।
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, पिथौरागढ़।
8– सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
9– सम्बन्धित अभ्यर्थि।
10– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस आशय से प्रेषित कि वे अभ्यर्थि के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके शैक्षिक योग्यता,प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ही कार्यभार ग्रहण करायें।
11– अध्यापक की व्यक्तिगत पत्रावली।

उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
विकासखण्ड धारचूला, पिथौरागढ़